

मध्यप्रदेश स्टेट सिविल सप्लाईज  
कार्पोरेशन लिमिटेड



क्रमांक/वितरण /178835/2023-24/ 1155  
प्रति,

भोपाल, दिनांक 13-03-2024

प्रबंध संचालक,  
मध्य प्रदेश माध्यम,  
भोपाल।


विषय:- कार्पोरेशन की निविदा विज्ञप्ति प्रकाशन बाबत।

विषयांतर्गत कार्पोरेशन द्वारा विभिन्न जिलों में भंडारित क्षतिग्रस्त खाद्यान्न "जैसा है जहां है" के आधार पर विक्रय हेतु संलग्न निविदा आमंत्रण सूचना, व्यापक प्रचार-प्रसार के दृष्टिकोण से न्यूनतम स्पेस में दिनांक 15.03.2024 को एक बार राष्ट्रीय एवं म.प्र. में सर्वाधिक प्रसार वाले समाचार पत्रों में निम्नानुसार प्रकाशित कराने का कष्ट करें:-

क्र.	समाचार पत्र
1	राष्ट्रीय स्तर का 01 अंग्रेजी भाषा का सर्वाधिक प्रकाशन वाले समाचार पत्रों में (01 बार) नई दिल्ली एडीशन में
2	म.प्र. के हिन्दी के सर्वाधिक प्रकाशित दो समाचार पत्रों के म.प्र. संस्करणों में जिससे पूरे संभाग कवर हो जायें।

संलग्न:- उपरोक्तानुसार

प्रबंध संचालक अनुमोदन अनुसार

  
(के. के. श्रीवास्तव)


महाप्रबंधक (वितरण)

पृ.क्रमांक/वितरण /178835/2023-24/ 1155-A

भोपाल, दिनांक 13-03-2024

प्रतिलिपि :- सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु-

- माननीय अध्यक्ष महोदय के निज सहायक, म.प्र. स्टेट सिविल सप्लाईज कार्पोरेशन लि. मुख्यालय भोपाल।
- अपर मुख्य सचिव म.प्र. शासन खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग मंत्रालय भोपाल।
- महाप्रबंधक, (कम्प्यूटर) म.प्र. स्टेट सिविल सप्लाईज कार्पोरेशन लि. मुख्यालय भोपाल की ओर सूचनार्थ कृपया उक्त निविदा सूचना एवं निविदा दस्तावेज को कार्पोरेशन की वेबसाइट पर अपलोड कराने का कष्ट करें।
- महाप्रबंधक (गु.नि.)/समन्वय म.प्र. स्टेट सिविल सप्लाईज कार्पोरेशन लि. मुख्यालय भोपाल।
- महाप्रबंधक (क्षेत्र) भारतीय खाद्य निगम भोपाल।
- एम.पी.एस.आई.डी.सी. सेन्ट्रल स्कूल के पास अरेरा हिल्स भोपाल की ओर सूचनार्थ एवं निविदा संबंधी आवश्यक कार्यवाही हेतु।
- क्षेत्रीय प्रबंधक/जिला प्रबंधक म.प्र. स्टेट सिविल सप्लाईज कार्पोरेशन लि. समस्त कृपया इसका अपने क्षेत्र आदि में व्यापक प्रचार-प्रसार कर अधिकतम संभव दरें/प्रतिस्पर्धा सुनिश्चित करवायें। अपने कार्यालय के नोटिस बोर्ड पर यह निविदा विवरण सूचना चस्पा करें।

  
महाप्रबंधक (वितरण)

पंजीकृत कार्यालय: ब्लॉक नं.-1, तृतीय तल, पर्यावास भवन, भोपाल-462011

CIN-U15411MP1974 SGC 001268

फोन नं.-0755-2551276 फैक्स : 2550312, 2677847 ईपीबीएक्स नं. 2674544, 2768002

वेबसाइट : www.mpscsc.nic.in ई-मेल - mpscsc@bsnl.in

क्रमांक/वितरण/178835/2023-24/1156

भोपाल, दिनांक 13-03-2024

**क्षतिग्रस्त स्कंध के विक्रय हेतु निविदा आमंत्रण सूचना**

कार्पोरेशन द्वारा म.प्र. के विभिन्न जिलो में भण्डारित क्षतिग्रस्त स्कंध जो कि विभिन्न श्रेणियों (फीड 1, फीड 2, फीड 3 इण्डस्ट्रीयल यूज, मेन्योर) में विभाजित है, "जहाँ है जैसा है" के आधार पर विक्रय हेतु पात्र निविदाकारों से ऑनलाईन निविदाये ई-निविदा वेबसाइट <https://mptenders.gov.in> पर दिनांक 04.04.2024 सायं 5.00 बजे तक आमंत्रित की जाती है। निविदा दस्तावेज, नियम एवं शर्तों आदि का विस्तृत विवरण <https://mptenders.gov.in> एवं <https://www.mpscsc.mp.gov.in> पर उपलब्ध है। निविदा दस्तावेज एवं निविदा प्रक्रिया ऑनलाईन भरने हेतु संबंधित तकनीकी सहयोग व स्पष्टीकरण प्राप्त करने हेतु टोल फ्री नंबर 0120-4001002 पर संपर्क कर सकते हैं।

महाप्रबंधक (वितरण)

पंजीकृत कार्यालय: ब्लॉक नं.-1, तृतीय तल, पर्यावास भवन, भोपाल-462011

CIN-U15411MP1974 SGC 001268

फोन नं.-0755-2551276 फैक्स : 2550312, 2677847 ईपीबीएक्स नं. 2674544, 2768002

वेबसाइट : [www.mpscsc.nic.in](http://www.mpscsc.nic.in) ई-मेल - [mpscsc@bsnl.in](mailto:mpscsc@bsnl.in)

## निविदा दस्तावेज



प्रदेश के विभिन्न जिलों में संग्रहित क्षतिग्रस्त खाद्यान्न के विक्रय हेतु MP Tender पोर्टल पर ऑनलाईन  
निविदा दस्तावेज

पंजीकृत पता- मध्यप्रदेश स्टेट सिविल सप्लाइज कार्पोरेशन लिमिटेड, मुख्यालय, ब्लॉक-1, तृतीय तल,  
पर्यावास भवन, जेल रोड, भोपाल

वर्तमान पता- मध्यप्रदेश स्टेट सिविल सप्लाइज कार्पोरेशन लिमिटेड, मुख्यालय,  
संचालनालय सामाजिक न्याय एवं दिव्यांगजन सशक्तिकरण भवन, द्वितीय एवं तृतीय तल,  
लिंक रोड नं0 3, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (NHM) भवन के पास, पत्रकार कॉलोनी के सामने, भोपाल (म.प्र.)

प्रदेश के विभिन्न जिलों में संग्रहित क्षतिग्रस्त खाद्यान्न के  
विक्रय हेतु ऑनलाईन निविदा दस्तावेज एवं विषय सूची

क्र.	विवरण	पेज क्र.
1	निविदा हेतु आमंत्रण सूचना	3-4
2	परिचय, परिभाषाएँ, निविदा का उद्देश्य एवं कार्य क्षेत्र, न्यूनतम अर्हतायें एवं अनिवार्य दस्तावेज विवरण, क्षतिग्रस्त खाद्यान्न क्रय करने हेतु आवश्यक नियम एवं शर्तें, निविदा प्रक्रिया, क्षतिग्रस्त स्कंध की श्रेणीवार उपलब्ध मात्रा व लॉटवार विवरण, खाद्यान्न का निरीक्षण, निविदा दस्तावेज पर हस्ताक्षर	5-11
3	अमानत राशि का निर्धारण एवं रिज़र्व प्राइस का विवरण	12
4	वित्तीय बिड प्रस्तुत करने की प्रक्रिया, निविदा की समय पर प्रस्तुति एवं तकनीकी अवरोध, वित्तीय बिड का मुल्यांकन, निविदा दर की वैधता अवधि, वित्तीय बिड में उच्चतम दर एवं सफल निविदाकार का निर्धारण, सुरक्षा निधि एवं विक्रय मूल्य जमा करने की प्रक्रिया एवं निर्देश	12-15
5	विक्रय अनुबंध निष्पादन एवं अनुमोदित निविदाकार द्वारा अनुबंध न करने की स्थिति में कार्यवाही	15-16
6	स्कंध उठाव की प्रक्रिया, स्कंध के उठाव की समयावधि	16-17
7	निविदाकार से अपेक्षित सावधानियां, क्रेता की अकर्णण्यता, तकनीकी निविदा निरस्ती का आधार	17-19
8	नियम बनाने का अधिकार/व्याख्या करना/निर्देश दिये जाना, निविदा में संशोधन-परिवर्तन, संविदा को शासित करने वाले कानून/विधि, क्षतिपूर्ति, मुजरा (सेटआफ), अप्रत्याशित घटना (Force Majeure)	19-21
9	भ्रष्ट आचरण, सामान्य प्रावधान, उपयुक्त कानून, विवादों का निराकरण एवं अधिकार क्षेत्र, कार्पोरेशन का कर्तव्य	21-22
10	परिशिष्ट-01 क्षतिग्रस्त खाद्यान्न के विक्रय हेतु घोषित लॉट का विवरण	23-29
11	परिशिष्ट-02 निविदाकार का परिचय एवं संक्षिप्त विवरण	30-32
12	परिशिष्ट-03 स्कंध के निरीक्षण हेतु अनुमति पत्र	33
13	परिशिष्ट-04 निविदा दस्तावेज क्रय हेतु रसीद का प्रारूप	34
14	परिशिष्ट-05 सपथ पत्र (राशि रू. 100/- के नॉन ज्युडिशियल स्टाम्प पर)	35-36
15	परिशिष्ट-06 अनुमोदित निविदाकार के साथ अनुबंध पत्र (नमूना प्रति)	37
16	परिशिष्ट-07 बैंक विवरण	38
17	परिशिष्ट-08 घोषणा पत्र	39
18	परिशिष्ट-09 वित्तीय बिड का प्रारूप	40

म.प्र. स्टेट सिविल सप्लायज कारपोरेशन लिमिटेड, मुख्यालय,  
पर्यावास भवन, ब्लॉक - 1, तृतीय तल, जेल रोड, भोपाल- 462011

क्रमांक . 1156

दिनांक.13.03.2024

### निविदा हेतु आमंत्रण सूचना

कारपोरेशन द्वारा मध्यप्रदेश के विभिन्न जिलो में संग्रहित क्षतिग्रस्त खाद्यान्न, जो कि विभिन्न श्रेणियों (फीड 1, फीड 2, फीड 3, इंडस्ट्रियल यूज एवं मैन्योर) में विभाजित है, को <https://mptenders.gov.in> के पोर्टल पर ऑनलाईन निविदा आमंत्रित कर 2 Bid cover System के माध्यम से विक्रय किया जाना है जिसमें निविदाकार को Technical Bid एवं Financial Bid प्रस्तुत करनी होगी। ऑनलाइन प्रथम लिफाफे में Technical Bid हेतु अनिवार्य दस्तावेज क्रम वार रखा जाना होगा तथा ऑनलाइन द्वितीय लिफाफे में Financial Bid निर्धारित प्रारूप में ऑफर दरें ऑनलाइन प्रस्तुत करना होगा | <https://mptenders.gov.in> पोर्टल पर आमंत्रित निविदा के तकनीकी बिड में सफल निविदाकार की द्वितीय लिफाफे में ऑनलाइन प्रस्तुत Financial Bid खोली जायेगी | निविदाकार को परिशिष्ट -1 में विक्रय हेतु उल्लेखित लॉट में से प्रत्येक लॉट के लिए पृथक पृथक निविदा प्रस्तुत करना होगी |

उक्त खाद्यान्न के विक्रय हेतु पात्र इच्छुक निविदाकारों से निविदाएं निर्धारित शर्तों के अनुसार निम्न विवरण अनुसार आमंत्रित हैं। इस हेतु यह निविदा दस्तावेज है:-

1	निविदा दस्तावेज की उपलब्धता	निविदा दस्तावेज वेब साईट <a href="http://www.mpscsc.nic.in">www.mpscsc.nic.in</a> एवं <a href="https://mptenders.gov.in">https://mptenders.gov.in</a> पर अवलोकन अध्ययन हेतु उपलब्ध है।
2	निविदा दस्तावेज ऑनलाइन क्रय हेतु उपलब्धता	निविदा दस्तावेज वेब साईट <a href="https://mptenders.gov.in">https://mptenders.gov.in</a> से राशि रूपये 1000/- (रूपये एक हजार मात्र) + प्रोसेसिंग शुल्क e-payment gateway के माध्यम से देय होंगे जो किसी भी स्थिति में वापसी योग्य, नहीं होगी।
3	निविदा दस्तावेज ऑनलाइन क्रय एवं जमा करने हेतु अंतिम तिथि एवं समय	निविदा दस्तावेज वेब साईट <a href="https://mptenders.gov.in">https://mptenders.gov.in</a> पर दिनांक 05.04.2024 समय सायं 5.00 बजे तक ऑनलाइन क्रय कर प्रस्तुत की जा सकेगी।

4	निविदा खोले जाने हेतु निर्धारित स्थान	वर्तमान पता- मध्यप्रदेश स्टेट सिविल सप्लाइज कार्पोरेशन लिमिटेड, मुख्यालय, संचालनालय सामाजिक न्याय एवं दिव्यांगजन सशक्तिकरण भवन, द्वितीय एवं तृतीय तल, लिंक रोड नं 3 ,राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (NHM) भवन के पास, पत्रकार कॉलोनी के सामने, भोपाल
5	निविदा खोले जाने की तिथि एवं समय	Technical Bid ऑनलाइन खोलने की दिनांक 05.04.2024 सायं 5.00 बजे से Financial Bid ऑनलाइन खोलने की दिनांक 15.04.2024 प्रातः 11.00 बजे से

### 1. निविदा दस्तावेज का ऑनलाइन क्रय-

निविदा दस्तावेज वेबसाइट <https://mptenders.gov.in> से राशि रुपये 1000/- प्रोसेसिंग शुल्क के साथ e-payment + gateway के माध्यम से जमा कर ऑनलाईन क्रय किया जा सकेगा। निविदा दस्तावेजों में इस ऑनलाइन निविदा दस्तावेज शुल्क की रसीद तकनीकी बिड के साथ प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

### 2. टिप्पणी-

निविदा प्राप्ति की तिथि व समय में अवकाश घोषित होने पर भी परिवर्तन नहीं होगा। यदि निविदा Technical Bid खोलने एवं Financial Bid के लिए निर्धारित तारीख को अवकाश घोषित किया जाता है, तो Technical / Financial Bid अगले कार्य दिवस पर पूर्व निर्धारित कार्यक्रम अनुसार समय पर खोली जा सकेगी।

### 3. सूचना-

3.1 निविदा दस्तावेज एवं निविदा प्रक्रिया ऑनलाइन भरने से संबंधित तकनीकी सहयोग व स्पष्टीकरण प्राप्त करने हेतु टोल फ्री नम्बर 0120-4200462, 0120-4001002, 0120-4001005, 0120-6277787, 18002588684 पर सुबह 10:00 बजे से सायं 7:00 या [eproc@nic.in](mailto:eproc@nic.in) पर संपर्क किया जा सकता है।

3.2 निविदा के नियमों एवं शर्तों के संबंध में आवश्यक जानकारी कार्पोरेशन के अधिकारियों से मोबाईल नंबर 9893179294 तथा 9827380084 से प्राप्त की जा सकती है।

--परिचय--

प्रिय निविदाकार

म.प्र. स्टेट सिविल सप्लाइज कार्पोरेशन लि. कंपनी अधिनियम 1956 के अन्तर्गत पंजीकृत, मध्यप्रदेश शासन का उपक्रम है, जो वर्ष 1974 से कार्यरत है। कार्पोरेशन का वार्षिक टर्न ओव्हर लगभग राशि रूपये 25,000 करोड़ है। कार्पोरेशन द्वारा राज्य शासन के निर्देशानुसार जनहित के कार्य किये जा रहे हैं, जिनमें शक्कर, नमक, बारदाना एवं समर्थन मूल्य पर खाद्यान्न, मोटे अनाज, धान आदि का उपार्जन, धान की कस्टम मिलिंग कराना एवं सार्वजनिक वितरण प्रणाली व अन्य कल्याणकारी योजनाओं में खाद्यान्नों का वितरण एवं विक्रय सम्मिलित है।

म. प्र. स्टेट सिविल सप्लाइज कार्पोरेशन लि. द्वारा प्रदेश के विभिन्न जिलों में परिशिष्ट- 1 अनुसार संग्रहित क्षतिग्रस्त खाद्यान्न को " जैसा है, जहाँ है" के आधार पर निविदा के माध्यम से विक्रय किये जाने हेतु निविदा आमंत्रित की गई है, कृपया कार्पोरेशन द्वारा जारी निविदा आमंत्रण सूचना व इस निविदा दस्तावेज का भली-भाँती अध्ययन करें एवं गेहूँ क्रय हेतु प्रतिस्पर्धात्मक निविदा प्रस्तुत करें।

प्रबंध संचालक  
म.प्र. स्टेट सिविल सप्लाइज कार्पोरेशन लि.  
मुख्यालय भोपाल

1. परिभाषाएं- निविदा दस्तावेज में प्रयुक्त शब्दों की परिभाषाएं इस प्रकार हैं-

- 1.1 शब्द निविदाकार मे अभिप्रेत है ऐसा कोई भी व्यक्ति, संस्था, प्रोपराइटर पार्टनरशिप फर्म, कंपनी अथवा अन्य कोई कानूनी इकाई हो सकता है जो प्रदेश के विभिन्न जिलो में संगृहीत क्षतिग्रस्त खाद्यान्न को क्रय करने के इच्छुक हो, जो कि शासन अथवा शासन के किसी भी उपक्रम की निविदा प्रक्रिया से ब्लैकलिस्ट नहीं हो।
- 1.2 शब्द कार्पोरेशन/निगम एवं मध्य प्रदेश स्टेट सिविल सप्लाइज कार्पोरेशन लिमिटेड से अभिप्रेत कंपनी अधिनियम 1956 के अधीन स्थापित मध्य प्रदेश स्टेट सिविल सप्लाइज कार्पोरेशन लिमिटेड है, जिसमें कार्पोरेशन के म.प्र में स्थित सभी जिला कार्यालय क्षेत्रीय कार्यालय एवं मुख्यालय सम्मिलित हैं।
- 1.3 शब्द प्रबंध संचालक से अभिप्रेत है म. प्र स्टेट सिविल सप्लाइज कार्पोरेशन लि. के प्रबंध संचालक।
- 1.4 शब्द क्षतिग्रस्त से अभिप्रेत है शासन द्वारा निर्धारित एक समान विनिर्दिष्टियां (Uniform Specifications) अनुसार औसत मानक गुणवत्ता का न होकर, सार्वजनिक वितरण प्रणाली में वितरण हेतु निर्धारित मापदंडों से निम्न श्रेणी (फीड 1, फीड 2, फीड 3, इंडस्ट्रियल यूज एवं मैन्योर) का है, जो कि JTC समिति द्वारा प्रमाणन उपरांत क्षतिग्रस्त घोषित किया गया है।
- 1.5 शब्द 'खाद्य पदार्थ/खाद्यान्न/स्कंध' से अभिप्रेत है क्षतिग्रस्त (श्रेणी का) स्कंध जो कि मानव उपभोग हेतु उपयुक्त नहीं है। उक्त क्षतिग्रस्त खाद्यान्न, जो कि विभिन्न श्रेणियों (फीड 1, फीड 2, फीड 3, इंडस्ट्रियल यूज एवं मैन्योर) में विभाजित है।
- 1.6 शब्द संग्रहण केन्द्र से अभिप्रेत है गोदाम, कैप स्टोरेज, साइलो बैग, स्टील सायलो अथवा अन्य स्थान जहाँ कार्पोरेशन के द्वारा उपार्जित स्वयं का भंडारण कराया गया है।
- 1.7 शब्द गोदाम से अभिप्रेत है कार्पोरेशन से संबंधित भंडारण एजेन्सी यथा मध्य प्रदेश स्टेट वेयरहाउसिंग एण्ड लॉजिस्टिक्स कार्पोरेशन, सेन्ट्रल वेयरहाउसिंग कार्पोरेशन के स्वयं/किराये/अनुबंधित गोदाम (गोदाम, कैप स्टोरेज, स्टील सायलो एवं सायलो बैग आदि सम्मिलित है।
- 1.8 शब्द वर्ष से अभिप्रेत वित्तीय वर्ष से है, बशर्ते इस निविदा की किसी कंडिका में वर्ष के सन्दर्भ में किसी अन्य रूप से उल्लेख न किया गया हो।
- 1.9 शब्द एक्स गोदाम डिलीवरी से अभिप्रेत है भंडारण स्थल के स्टेक से बोरे को उठाकर ट्रक में लोड करने तक का हम्माली कार्य एवं तोल सम्बंधित समस्त प्रक्रिया अथवा सायलो बैग/स्टील सायलो परिसर के बैगिंग स्थल से उठाकर ट्रक पर लोड करने एवं तोल करने का कार्य।
- 1.10 शब्द शुद्ध वजन (Net Weight) से अभिप्रेत है कि भंडारित खाद्यान्न का जूट के खाली बारदाना का वजन 580 ग्राम प्रति बोरा अथवा PP/HDPE के खाली बारदाने का वजन 135 ग्राम प्रति बोरा के मान से कम करने पर प्राप्त शुद्ध वजन, जो कि ऐसा को विक्रय के समय गोदाम/भण्डारण स्थल से प्रदान किया जाएगा।
- 1.11 शब्द ऑफर दर से अभिप्रेत है ई-पोर्टल <https://mptenders.gov.in> पर निविदाकार द्वारा Financial Bid में प्रस्तुत की गयी दर से प्राप्त प्रति क्विंटल दर।
- 1.12 शब्द H-1 से अभिप्रेत है कि Financial Bid में लॉट विशेष के लिये प्राप्त उच्चतम दर।



1.13 शब्द सुरक्षा निधि/सुरक्षा राशि से अभिप्रेत है की सफल निविदाकार द्वारा ऑफर मात्रा की स्वीकृत ऑफर दर से निर्धारित विक्रय मूल्य की 10% राशि ।

2. निविदा का उद्देश्य एवं कार्य क्षेत्र :-

2.1 निविदा का उद्देश्य-

निविदा का उद्देश्य- म.प्र. स्टेट सिविल सप्लाइज कार्पोरेशन लि द्वारा रबी प्रदेश के विभिन्न जिलों में परिशिष्ट-1 अनुसार संग्रहित क्षतिग्रस्त खाद्यान्न जो कि विभिन्न श्रेणियों (फीड 1 ,फीड 2, फीड 3, इंडस्ट्रियल यूज एवं मैन्योर) में विभाजित है, जो विभिन्न भण्डारण स्थलों पर भण्डारित है, जिसका विक्रय ऑनलाइन पोर्टल <https://mptenders.gov.in> पर निविदा के माध्यम से "जैसा है, जहाँ है" (As is where is ) के आधार पर किया जाता है। विक्रय किये गये क्षतिग्रस्त खाद्यान्न का उठाव नियत समयावधि में पूर्ण राशि प्राप्त होने के उपरांत Ex godown delivery के आधार पर किया जायेगा।

2.2 निविदा का कार्य क्षेत्र -

विक्रय हेतु उपलब्ध क्षतिग्रस्त खाद्यान्न मध्यप्रदेश के विभिन्न जिलों में (परिशिष्ट-1 अनुसार) भण्डारित है, का विक्रय <https://mptenders.gov.in> पोर्टल के माध्यम से देश के सभी इच्छुक क्रेताओं से दरें आहूत कर किया जाना है। निविदा में सफल निविदाकारों की दरों के अनुमोदन उपरांत क्षतिग्रस्त खाद्यान्न की ऑफर मात्रा को नियत समयावधि में उठाव करना होगा।

2.3 उपयोग की बाध्यता-

विक्रय हेतु उपलब्ध क्षतिग्रस्त खाद्यान्न, जो कि विभिन्न श्रेणियों (फीड 1, फीड 2, फीड 3, इंडस्ट्रियल यूज एवं मैन्योर) के खाद्यान्न का उपयोग संबंधित श्रेणी (फीड 1, फीड 2, फीड 3, इंडस्ट्रियल यूज एवं मैन्योर) में ही करने के लिए क्रेता बाध्य है। इस हेतु क्रेता को परिशिष्ट-5 अनुसार शपथ पत्र कार्पोरेशन में जमा करना होगा। उक्त बाध्यता का उल्लंघन करने वाले क्रेता को ब्लैक लिस्ट करते हुए विधिक कार्यवाही की जायेगी। क्रेता द्वारा श्रेणीकरण (फीड 1, फीड 2, फीड 3, इंडस्ट्रियल यूज एवं मैन्योर) के विरुद्ध किसी भी प्रकार की आपत्ति मान्य नहीं की जाएगी।

3. न्यूनतम अर्हताएं एवं अनिवार्य दस्तावेज विवरण :-

तकनीकी बिड में सफल होने के लिए निविदाकार को समस्त अर्हताएं अनिवार्य रूप से पूर्ण करनी होगी। अनिवार्य अर्हताओं की पूर्ति हेतु निम्न सभी दस्तावेज तकनीकी बिड (Technical bid) में प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा तथा EMD की राशि भी अनिवार्यतः जमा करना होगी अन्यथा तकनीकी बिड निरस्त की जावेगी।

क्र.	अनिवार्य अर्हताएं	अनिवार्य दस्तावेज
1	अपना परिचय व विवरण उद्धोषित करना होगा।	निविदाकार का परिचय एवं संक्षिप्त विवरण हेतु निविदा दस्तावेज के परिशिष्ट-02 को पूर्णतः भरकर संलग्न करें।
2	निविदाकार के नाम से क्षतिग्रस्त खाद्यान्न क्रय करने हेतु भारतीय खाद्य निगम का वैध लाइसेंस होना चाहिए।	इस हेतु निविदाकार को भारतीय खाद्य निगम से विभिन्न श्रेणियों के क्षतिग्रस्त खाद्यान्न क्रय करने हेतु जारी लाइसेंस की स्वप्रमाणित छायाप्रति संलग्न करना होगी।
3	विभिन्न श्रेणी (फीड 1, फीड 2, फीड 3, इंडस्ट्रियल यूज़ एवं मैन्योर) के क्षतिग्रस्त खाद्यान्न की प्रोसेसिंग से सम्बंधित इंडस्ट्रियल लाइसेंस अथवा रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट होना चाहिए।	सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी विभिन्न श्रेणी (फीड 1, फीड 2, फीड 3, इंडस्ट्रियल यूज़ एवं मैन्योर) के क्षतिग्रस्त खाद्यान्न की प्रोसेसिंग से संबंधित इंडस्ट्रियल लाइसेंस अथवा रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट की स्वप्रमाणित प्रति संलग्न करना होगा।
4	आयकर विभाग से जारी स्थायी आयकर खाता का प्रमाण	निविदाकार द्वारा जिस नाम से निविदा में भाग लिया जा रहा है उसी नाम से पैन कार्ड की स्वप्रमाणित छाया प्रति संलग्न करना अनिवार्य होगा।
5	GST का जीवित पंजीयन धारक हो	केन्द्र शासन के संबंधित विभाग द्वारा जारी राज्य /GST का जीवित पंजीयन की स्वप्रमाणित-हस्ताक्षरित छायाप्रति। GST का केवल Application मान्य नहीं होगा।
6	निविदाकार भारत सरकार/राज्य शासन अथवा उनके उपक्रम/शासकीय/अर्धशासकीय संस्था द्वारा क्षतिग्रस्त खाद्यान्न की निविदा में भाग लेने हेतु ब्लैकलिस्टेड नहीं होना चाहिए।	इस बावत निविदाकार को निविदा दस्तावेज के परिशिष्ट- 05 में नोट राईज्ड अभिवचन देना होगा।
7	फर्म/पार्टनरशिप फर्म/ प्राइवेट कंपनी/पब्लिक कंपनी/पंजीकृत संस्था/ प्रोपराईटर के निविदा में भाग लेने पर संबंधित फर्म/पार्टनरशिप फर्म/प्राइवेट कंपनी/पब्लिक कंपनी/पंजीकृत संस्था पार्टनरशिप/अविभाजित हिन्दु परिवार की तरफ से विधिक रूप से अधिकृत बावत अधिकार पत्र/मुख्तयारनामा	निविदाकार को निविदा दस्तावेज की बिन्दु- 7 में उल्लेख अनुसार यथा स्थिति दस्तावेज प्रस्तुत करना होगा।
8	निविदा दस्तावेज हस्ताक्षर कर ऑनलाईन अपलोड करना	निविदाकार द्वारा इस निविदा दस्तावेज के प्रत्येक पृष्ठ पर मय सील अधिकृत व्यक्ति के हस्ताक्षर सहित ऑनलाईन अपलोड करना अनिवार्य है।

4. क्षतिग्रस्त खाद्यान्न, क्रय करने हेतु आवश्यक नियम एवं शर्तें

- 4.1 निविदा में भाग लेने के पूर्व निविदाकार संग्रहण स्थल पर जा कर स्कंध का निरीक्षण कर सकते हैं। निविदा में स्कंध के विक्रय पश्चात् निविदाकार द्वारा गुणवत्ता से सम्बंधित किसी भी प्रकार की आपत्ति स्वीकार नहीं की जाएगी।
- 4.2 निविदा के पूर्व भी निविदाकार द्वारा स्कंध के श्रेणीकरण (फीड 1, फीड 2, फीड 3, इंडस्ट्रियल यूज एवं मैन्योर) सम्बन्धी किसी भी प्रकार की आपत्ति स्वीकार नहीं की जाएगी।
- 4.3 निविदा प्रक्रिया में केवल वे ही निविदाकार भाग ले सकेंगे जिनके पास खाद्यान्न क्रय करने हेतु भारतीय खाद्य निगम द्वारा जारी लाइसेंस होगा। उक्त लाइसेंस की स्व प्रमाणित प्रति निविदाकार को तकनीकी बिड में अपलोड करना होगी।
- 4.4 निविदाकार के पास विभिन्न श्रेणी (फीड 1, फीड 2 फीड 3 इंडस्ट्रियल यूज एवं मैन्योर) के क्षतिग्रस्त खाद्यान्न की प्रोसेसिंग से सम्बंधित इंडस्ट्रियल लाइसेंस अथवा रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट होना अनिवार्य होगा।
- 4.5 विक्रय हेतु उपलब्ध क्षतिग्रस्त खाद्यान्न विभिन्न श्रेणियों (फीड 1, फीड 2, फीड 3, इंडस्ट्रियल यूज एवं मैन्योर) में विभाजित है। किसी भी श्रेणी (फीड 1, फीड 2, फीड 3 इंडस्ट्रियल यूज एवं मैन्योर) के खाद्यान्न का उपयोग सम्बंधित श्रेणी (फीड 1, फीड 2, फीड 3, इंडस्ट्रियल यूज एवं मैन्योर) में ही करने के लिए क्रेता बाध्य रहेंगे। उक्त हेतु निविदाकार को 100 रूपए के स्टाम्प पर शपथ पत्र तकनीकी निविदा में अपलोड करना होगा।
- 4.6 क्षतिग्रस्त खाद्यान्न से सम्बन्धी श्रेणी (फीड 1, फीड 2, फीड 3, इंडस्ट्रियल यूज एवं मैन्योर) एवं सम्बंधित उपयोग निम्नानुसार है:-

श्रेणी	उपयोग
Feed I	पशु आहार हेतु
Feed II	पशु आहार हेतु
Feed III	पोल्ट्री आहार हेतु
Industrial Use	Industrial Use एवं Manure हेतु
Manure	केवल Manure हेतु

- 4.7 क्रेता को खाद्यान्न के होने वाले उपयोग से संबंधित समस्त विवरण कारपोरेशन मुख्यालय एवं आवश्यकता पड़ने पर जिला कलेक्टर को उठाव पूर्व देने होंगे। यदि क्रेता क्षतिग्रस्त खाद्यान्न के उपयोग का विवरण देने में असफल रहते हैं तो उनके द्वारा जमा की गई सुरक्षा राशि एवं EMD राशि राजसात कर ली जाएगी एवं क्रेता के विरुद्ध कानूनी कार्यवाही की जायेगी।
- 4.8 कंडिका क्र. 4.6 में उल्लेखित विभिन्न श्रेणियों के खाद्यान्न की प्रोसेसिंग का कार्य केवल सम्बंधित क्रेता के प्लांट / फैक्ट्री अथवा इकाई में ही किया जाएगा।
- 4.9 निविदा की शर्तों के पालन की सुनिश्चिता हेतु बिना किसी पूर्व सूचना क्रेता की फैक्ट्री एवं गोदाम का निरीक्षण करने का कारपोरेशन के पास पूर्ण अधिकार है। निरीक्षण हेतु समस्त सुविधा उपलब्ध करवाने के लिए क्रेता बाध्य रहेंगे।

- 4.10 निविदाकार को क्षतिग्रस्त खाद्यान्न के परिवहन, प्रोसेसिंग एवं अंतिम उत्पाद से सम्बंधित समस्त जानकारी कारपोरेशन मुख्यालय को देनी होगी।
- 4.11 क्रेता किसी भी परिस्थिति में बिना कारपोरेशन की अनुमति के क्रय किये गए खाद्यान्न को किसी अन्य व्यक्ति/फर्म अथवा कंपनी को विक्रय नहीं कर सकेंगे।
- 4.12 श्रेणीकरण एवं उपयोग से सम्बंधित किसी भी कंडिका उल्लंघन करने पर क्रेता के विरुद्ध कानूनी कार्यवाही करने हेतु कारपोरेशन पूर्ण रूप से स्वतंत्र है।

## 5. निविदा प्रक्रिया-

निविदा का प्रथम भाग (ऑनलाईन तकनीकी बिड)-

Technical Bid में निविदा के लिये <https://mptenders.gov.in> पर निर्धारित तिथि एवं समय तक अनिवार्य अर्हता संबंधी समस्त दस्तावेज ऑनलाईन अपलोड करना होगा। EMD राशि जमा नहीं होने पर तथा प्रस्तुत दस्तावेज सुस्पष्ट एवं पठनीय न होने की दशा में निविदाकार को निविदा हेतु अयोग्य माना जायेगा। कोई भी दस्तावेज ऑफलाईन, ईमेल, फैक्स, डाक व हस्ते किसी भी स्थिति में स्वीकार्य नहीं होगा।

निविदा का द्वितीय भाग (ऑनलाइन वित्तीय बिड) -

निविदा के द्वितीय भाग में Financial Bid हेतु निविदाकार को निर्धारित प्रारूप में लॉटवार प्रति क्विंटल दर ऑनलाईन प्रस्तुत करना होगा। केवल उन्ही निविदाकारों की Financial Bid खोली जायेगी, जो Technical Bid में सफल घोषित होंगे। विक्रय हेतु प्रस्तुत क्षतिग्रस्त खाद्यान्न का रिज़र्व मूल्य परिशिष्ट- 1 अनुसार है। उक्त निर्धारित रिज़र्व मूल्य से कम की बिड ऑनलाइन पोर्टल द्वारा स्वीकार नहीं की जायेगी।

6. क्षतिग्रस्त स्कंध की श्रेणीवार (फीड 1, फीड 2, फीड 3, इंडस्ट्रियल यूज़ एवं मैन्योर) उपलब्ध मात्रा एवं लॉट वार विवरण :-

6.1 विक्रय हेतु प्रस्तुत खाद्यान्न क्षतिग्रस्त खाद्यान्न है, जिसका श्रेणीवार (फीड 1, फीड 2, फीड 3, इंडस्ट्रियल यूज़ एवं मैन्योर) वर्गीकरण एवं विवरण के साथ साथ विक्रय हेतु उपलब्ध मात्रा एवं संग्रहण स्थान की जानकारी परिशिष्ट - 1 पर संलग्न है।

7. खाद्यान्न का निरीक्षण :-

- 7.1 इस निविदा के माध्यम से विक्रय किये जा रहे क्षतिग्रस्त खाद्यान्न की सूची परिशिष्ट- 1 में उल्लेखित है। निरीक्षण हेतु इच्छुक निविदाकारों द्वारा निविदा दस्तावेज क्रय हेतु निर्धारित ऑनलाईन शुल्क का भुगतान कर उसकी रसीद कापॉरेशन के सम्बंधित जिला कार्यालय/कार्यालयों में प्रस्तुत करने पर सम्बंधित जिला प्रबंधक/प्रबंधको द्वारा निरीक्षण हेतु अनुमति पत्र निर्धारित प्रारूप (परिशिष्ट-3) में जारी किया जायेगा। इस अनुमति के आधार पर निविदाकार स्वयं या अपने अधिकृत प्रतिनिधि, तकनीकी बिड प्रस्तुति हेतु निर्धारित दिवस एवं समय तक कार्यालयीन दिवस एवं समय में अवलोकन/निरीक्षण कर सकेंगे।
- 7.2 निविदाकारों द्वारा विक्रय किये जा रहे भंडारित क्षतिग्रस्त खाद्यान्न के अवलोकन/ निरीक्षण संबंधी अनुमति पत्र का विवरण जिला कार्यालय में एक पंजी में संधारित किया जायेगा।
- 7.3 भण्डारित क्षतिग्रस्त खाद्यान्न का विक्रय, लॉट की संपूर्ण मात्रा के आधार पर किया जा रहा है, इसलिए खाद्यान्न के निरीक्षण उपरांत पात्र निविदाकार द्वारा यदि परिशिष्ट-01 में उल्लेखित किसी गोदाम/ लॉट में भण्डारित स्टाक की मात्रा व गुणवत्ता के संबंध में लिखित या मौखिक आपत्ति जिला कार्यालय अथवा कापॉरेशन मुख्यालय में दर्ज की जाती है, तो भी परिशिष्ट-01 में उल्लेखित लॉट मात्रा ही मान्य की जाएगी। उक्त सूचना/ जानकारी / आपत्ति के आधार पर निविदा को निरस्त/स्थगित नहीं किया जाएगा। खाद्यान्न "जहाँ है, जैसा है" के आधार पर ही विक्रय किया जायेगा।
- 7.4 यदि किसी निविदाकार द्वारा तकनीकी बिड प्रस्तुत किये जाने की दिनांक एवं समय तक किसी खाद्यान्न का निरीक्षण नहीं किया जाता है तो यह बिड की नियत दिनांक व समय में परिवर्तन का आधार नहीं होगा एवं ऐसी स्थिति में बिड की नियत दिनांक व समय में किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं किया जाएगा।

#### 8. निविदा दस्तावेज पर हस्ताक्षर:-

स्वामित्व/फर्म/कंपनी/अविभाजित हिन्दू परिवार के अधिकृत निविदाकार पदाधिकारी ही निविदा फॉर्म पर हस्ताक्षर करें। वे हैसियत का वैध प्रमाण पत्र प्रस्तुत करेंगे। वैध प्रमाण पत्र के अभाव में तकनीकी बिड निरस्त कर दी जायेगी।

क्र.	निविदाकार का स्वरूप	निविदा कौन भर सकेगा
1	एकल स्वामित्व	स्वामी स्वयं अथवा उसका मुख्त्यारनामा धारी अधिकृत व्यक्ति
2	भागीदारी/पार्टनरशिप फर्म	सभी भागीदार अथवा उनका मुख्त्यारनामा धारी अधिकृत व्यक्ति
3	प्राइवेट/पब्लिक कंपनी	प्राइवेट/पब्लिक कंपनी की दशा में नियमानुसार अधिकृत व्यक्ति, जिसके संबंध में जारी अधिकार पत्र की स्व-प्रमाणित प्रति
4	अविभाजित हिन्दू परिवार	परिवार का कर्ता जिसके नाम पर मुख्त्यारनामा है।
5	पंजीकृत संस्था/शासकीय/अर्द्धशासकीय	पंजीकृत संस्था/शासकीय/अर्द्धशासकीय उपक्रम के सक्षम अधिकारी अथवा उनके अधिकृत व्यक्ति

### 9. अमानत राशि (EMD) का निर्धारण एवं रिजर्व प्राइस का विवरण:-

- 9.1. विक्रय हेतु निर्धारित स्कंध के रिजर्व प्राइस का विवरण परिशिष्ट-1 पर दर्शित है। क्रय मूल्य के अतिरिक्त अन्य देय वैधानिक कर (मण्डी शुल्क छोड़कर) अथवा अन्य कारित व्ययों को क्रेता द्वारा पृथक से वहन किया जाना होगा।
- 9.2. निविदाकार को निविदा में भाग लेने हेतु एक लॉट की मात्रा के लिए परिशिष्ट-1 में उल्लेख अनुसार EMD राशि <https://mptenders.gov.in> पर जमा करना होगी। केवल उन्हीं निविदाकारों को Technical Bid में सफल माना जायेगा एवं उनकी Financial Bid खोली जायेगी, जिनके द्वारा उस लॉट हेतु परिशिष्ट-01 में उल्लेखित EMD राशि ऑनलाईन पोर्टल पर जमा की गई हो व तकनीकी बिड में अन्य तकनीकी अहर्ताओं को पूर्ण करते हो।
- 9.3. निविदाकार द्वारा प्रत्येक लॉट के लिए पृथक-पृथक निविदा प्रस्तुत करते हुए पृथक-पृथक EMD जमा करनी होगी।
- 9.4. तकनीकी बिड में सफल निविदाकारों की जमा की गई EMD राशि, निविदा में उल्लेखित लॉट की मात्रा के अनुसार पूर्ण डिलीवरी होने के पश्चात तथा संबंधित जिला कार्यालयों से लेनदारी शेष न रहने की पुष्टि संबंधी अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त कर 15 दिवस के भीतर कारपोरेशन द्वारा आनलाईन पोर्टल से संबंधित निविदाकारों को उनके निविदा में उल्लेखित बैंक खातों (Source Account) में वापस की जायेगी।
- 9.5. असफल निविदाकारों की जमा EMD राशि सफल निविदाकारों को निविदा दरों की स्वीकृति पत्र जारी करने के उपरांत ऑनलाईन पोर्टल के माध्यम से संबंधित असफल निविदाकार के बैंक खाते में वापस कर दी जाएगी। परन्तु EMD की वापसी में यदि किसी प्रकार का बिलंबकारित होता है तो उक्त बिलम्ब अवधि पर कोई भी ब्याज देय नहीं होगा।

### 10. वित्तीय बिड प्रस्तुत करने की प्रक्रिया :-

- 10.1. निविदाकार द्वारा जिस लॉट हेतु निविदा प्रस्तुत की है, वित्तीय में उसी लॉट हेतु परिशिष्ट-09 अनुसार ऑनलाईन निर्धारित प्रारूप में पोर्टल पर वित्तीय बिड प्रस्तुत करना होगी।
- 10.2. निविदा में निर्धारित रिजर्व प्राइस से ऊपर ऑफर दर वित्तीय बिड में प्रस्तुत करना अनिवार्य एवं बंधनकारी होगा।

### 11. निविदा की समय पर प्रस्तुति व तकनीकी अवरोध:-

- 11.1. तकनीकी व वित्तीय बिड हेतु निविदा में निर्धारित दिनांक व समय में प्रस्तुत करनी होगी।
- 11.2. तकनीकी एवं वित्तीय बिड <https://mptenders.gov.in> पोर्टल पर अपलोड करनी होगी। यदि उक्त पोर्टल पर कोई तकनीकी समस्या आती है अथवा कोई तकनीकी त्रुटि होती है तो भी निविदा प्रस्तुति का निर्धारित समय नहीं बढ़ाया जा सकता है तथा तकनीकी वित्तीय बिड समय पर प्रस्तुत न

कर पाने पर, किसी तकनीकी अथवा बैंक के सर्वर इत्यादि समस्या के कारण से ईएमडी लाईन जमा न कर पाने पर भी निविदा मान्य नहीं की जाएगी एवं उक्त बिड किसी अन्य माध्यम यथा ई-मेल डॉक अथवा भौतिक रूप से किसी भी दशा में स्वीकार नहीं की जायेंगी।

11.3 निविदाकार के स्तर पर होने वाले पावर फेलियर, इन्टरनेट की गति अथवा किसी भी प्रकार की समस्या के लिए कारपोरेशन अथवा पोर्टल की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।

## 12. वित्तीय बिड का मूल्यांकन :-

वित्तीय बिड का मूल्यांकन किसी लॉट हेतु ऑनलाईन पोर्टल पर प्राप्त, अधिकतम शुद्ध दर के आधार पर किया जावेगा। निविदाकार को ऑफर दरें यदि रूपये प्रति क्विंटल में ऑनलाईन प्रस्तुत करना होगी। इसके अतिरिक्त सरकार एवं राज्य सरकार द्वारा घोषित कर/ अन्य कोई शुल्क हो, तो वह पृथक से क्रेता को भुगतान करना होगा।

## 13. निविदा दर की वैधता अवधि:-

समस्त निविदाकारों द्वारा प्रस्तुत दरें वित्तीय निविदा प्रक्रिया की समाप्ति के उपरांत सामान्यतः आगामी 30 कार्य दिवस तक वैध रहेंगी एवं अपरिहार्य स्थिति में प्रबंध संचालक, MPSCSC द्वारा वैधता अवधि में वृद्धि की जा सकेगी। इस वैधता अवधि में स्वीकृत दरों पर निविदाकार निविदा प्रावधान अनुसार अनुमोदित लॉट की राशि जमा कर अनुबंध करने एवं खाद्यान्न के उठाव हेतु बाध्य होगा।

## 14. वित्तीय निविदा में उच्चतम दर व सफल निविदाकार का निर्धारण:-

- 14.1 ऑनलाइन आमंत्रित वित्तीय निविदा में प्राप्त ऑफर दरों का लॉट बार तुलनात्मक पत्रक तैयार किया जाएगा। लॉटवार प्राप्त अधिकतम दर को उस लॉट की H-1 दर माना जायेगा।
- 14.2 कारपोरेशन के प्रबंध संचालक के पास किसी भी निविदा को बिना किसी कारण बताये स्वीकार एवं अस्वीकार करने का पूर्ण अधिकार है।
- 14.3 यदि किसी लॉट हेतु दो या दो से अधिक निविदाकारों द्वारा एकसमान ही अधिकतम ऑफर दर वित्तीय निविदा में प्रस्तुत की जाती है ऐसी दशा में लॉटरी के माध्यम से H-1 निविदाकार का निर्धारण किया जायेगा। इस हेतु समान दर के निविदाकारों को लॉटरी हेतु निर्धारित दिनांक एवं समय की सूचना निविदाकार द्वारा प्रदत्त E-mail ID पर प्रेषित की जाएगी। निविदाकार अधिकृत प्रतिनिधि लाटरी के समय स्वयं के व्यय पर उपस्थित रह सकते हैं। नियत समय पर उपस्थित न होने की दशा में लाटरी की प्रक्रिया पूर्ण की जाएगी। तत्सम्बंध में निविदाकार की किसी भी प्रकार की आपत्ति मान्य नहीं की जायगी।

## 15. सुरक्षा निधि एवं विक्रय मूल्य जमा करने की प्रक्रिया एवं निर्देश:-

- 15.1 सफल निविदाकार को कार्पोरेशन द्वारा दरों की स्वीकृति की सूचना प्रेषण के 4 बैंक कार्य दिवस में वित्तीय निविदा में अनुमोदित मात्रा के कुल विक्रय मूल्य की 10% राशि सुरक्षा निधि के रूप में संलग्न परिशिष्ट -07 अनुसार कार्पोरेशन के खाते में NEFT/RTGS/Online माध्यम से अपने बैंक खाते से ही जमा करना अनिवार्य होगा। उक्त राशि के रूप में FD/Cheque/DD अथवा कोई वित्तीय अभिलेख स्वीकार नहीं होंगे। निविदाकार द्वारा तकनीकी बिड के साथ <https://mptenders.gov.in> पोर्टल पर जमा EMD राशि को 10% सुरक्षा निधि की राशि में समायोजित नहीं किया जायेगा यदि सफल निविदाकार उल्लेखित समयावधि में सुरक्षा निधि जमा करने में असमर्थ रहते हैं तो उनके द्वारा प्रदत्त EMD राशि जब्त कर ली जावेगी।
- 15.2 सफल निविदाकार को कंडिका 15.1 अनुसार सुरक्षा निधि अधिकतम 4 बैंक कार्य दिवस में कार्पोरेशन मुख्यालय में जमा करने के उपरांत अधिकतम आगामी 6 बैंक कार्य दिवस में परिशिष्ट - 7 अनुसार कार्पोरेशन के खाते में विक्रय मूल्य की संपूर्ण राशि जमा करनी होगी। निविदाकार द्वारा तकनीकी बिड के साथ <https://mptenders.gov.in> पोर्टल पर जमा EMD राशि को विक्रय मूल्य में समायोजित नहीं किया जायेगा। यदि सफल निविदाकार उक्त समयावधि में विक्रय मूल्य की गति जमा करने में असफल रहते हैं, तो उनके द्वारा जमा की गई सुरक्षा निधि एवं EMD राशि जब्त कर ली जायेगी।
- 15.3 निविदाकार द्वारा विक्रय मूल्य की राशि कार्पोरेशन मुख्यालय के बैंक खाते में जमा किये जाने की सूचना मुख्यालय द्वारा सम्बंधित जिला कार्यालय को पत्र के साथ एडवाइज प्रेषित कर दी जायेगी। इसके उपरांत जिला कार्यालय द्वारा सफल निविदाकार के नाम से सम्बंधित स्कंध का डिलेवरी ऑर्डर मुख्यालय द्वारा जारी पत्र दिनांक से अधिकतम तीन कार्य दिवस की अवधि में निविदाकार द्वारा दिये गये ई-मेल आई.डी. पर प्रेषित कर कार्पोरेशन मुख्यालय को भी सूचित किया जायेगा।
- 15.4 यदि किन्हीं व्यवहारिक कारणों से सफल निविदाकार की स्वीकृति पत्र जारी दिनांक से 10 बैंक कार्य दिवस में संपूर्ण विक्रय मूल्य की राशि जमा करने में असफल रहता है, तो निविदाकार द्वारा प्रबंध संचालक को प्रस्तुत आवेदन पर यदि समय वृद्धि मान्य की जाती है, तो उक्त 10 दिवस के अतिरिक्त, अधिकतम 6 बैंक कार्य दिवस की अवधि प्रदान की जावेगी। परन्तु सफल निविदाकार को उक्त अतिरिक्त अवधि पर अतिरिक्त 12% वार्षिक ब्याज दर के अनुसार राशि जमा करना होगा।
- 15.5 सफल निविदाकार को विक्रय मूल्य की राशि जमा करने हेतु कंडिका 15.2 एवं 15.4 अनुसार अधिकतम 14 दिवस के उपरांत कोई अतिरिक्त अवधि प्रदान नहीं की जायेगी एवं सफल निविदाकार यदि उक्त अवधि में भी विक्रय मूल्य जमा करने में असमर्थ रहते हैं तो उनके द्वारा प्रस्तुत ऑफर दर को अमान्य करते हुए बिना किसी सूचना के उसके द्वारा जमा की गई 10% सुरक्षा राशि एवं EMD राशि कार्पोरेशन द्वारा राजसात कर ली जायेगी एवं H-2 निविदाकार को H-1 की दर पर क्रय हेतु ऑफर किया जाएगा तथा H-1 निविदाकार निविदा में सुरक्षा निधि या विक्रय मूल्य की राशि जमा करने हेतु उल्लेखित समयावधि में कर सकेंगे। किसी भी स्थिति में H-2 निविदाकार को उसकी H-2 दर पर स्कंध विक्रय नहीं किया जायेगा।
- 15.6 सफल निविदाकार द्वारा जिस फर्म, संस्था/व्यक्ति के नाम से निविदा में भाग लिया गया है उसी धर्म, संस्था/व्यक्ति के नाम से NEFT/RTGS / Online Banking माध्यम से उक्त राशि का कार्पोरेशन के खाते में भुगतान मान्य किया जाएगा किसी अन्य व्यक्ति संस्था अथवा फर्म इत्यादि के खाते से



किए गए भुगतान को मान्य नहीं किया जाएगा एवं किसी अन्य व्यक्ति, संस्था अथवा फर्म इत्यादि के खाते से राशि का भुगतान करने पर उक्त राशि वापस करने की जिम्मेदारी कारपोरेशन अथवा कारपोरेशन के जिला कार्यालय की नहीं होगी।

#### 15.7 निविदा दरों में TDS/TCS के संबंध में प्रावधान:-

15.7.1 यदि सम्बंधित क्रेता का विगत वित्तीय वर्ष का टर्नओवर 10 करोड़ से अधिक रहा है क्रेता द्वारा संलग्न प्रारूप परिशिष्ट-08 में कारपोरेशन मुख्यालय में घोषणापत्र प्रस्तुत किया जायेगा, जिससे कि कारपोरेशन द्वारा आयकर TCS पृथक से नहीं लिया जायेगा और सम्बंधित क्रेता द्वारा कारपोरेशन को भुगतान किये जा रहे विक्रय मूल्य की राशि पर 0.1% की दर से आयकर TDS मद में राशि कम करते हुए शेष राशि जमा की जाएगी एवं TDS मद में काटी कारपोरेशन को कम भुगतान की गई राशि को कारपोरेशन के PAN नंबर AACCM5763B में जमा करते हुए त्रैमासिक आयकर विवरणी दाखिल की जाएगी।

15.7.2 यदि सम्बंधित क्रेता का विगत वित्तीय वर्ष का टर्नओवर 10 करोड़ से कम रहा है तो क्रेता द्वारा के विक्रय मूल्य के साथ विक्रय मूल्य की कुल राशि पर आयकर TCS मद में 0.1% की दर से राशि कारपोरेशन में जमा की जाएगी।

#### 16. विक्रय अनुबंध निष्पादन किया जाना :-

सफल निविदाकार को दर स्वीकृति की सूचना प्राप्त होने के 4 कार्य दिवस में अनुमोदित मात्रा के विक्रय मूल्य की 10% सुरक्षा राशि कंडिका क्रमांक 15 अनुसार जमा करते हुए निर्धारित प्रारूप (परिशिष्ट-6) में राशि रु 1000/- के नॉन ज्युडिशियल स्टॉम पर विधिसम्मत वांछित अनिवार्य दस्तावेजों के साथ कारपोरेशन मुख्यालय में दर स्वीकृति की सूचना प्राप्त होने के 4 कार्य दिवस की अवधि समाप्ति से अधिकतम 3 कार्य दिवस में उपस्थित होकर अनुबंध निष्पादित करना होगा। तकनीकी बिड के साथ प्रस्तुत समस्त प्रमाणित दस्तावेजों की मूल प्रतियां अनुबंध के समय प्रमाणन हेतु प्रस्तुत की जाना होगी तदनुसार अनुबंध के हस्ताक्षर उपरांत उन्हें रिकार्ड में रखा जायेगा। निविदा दस्तावेज में समस्त अनिवार्य दस्तावेजों के अनुबंध का भाग होंगे। यह अनुबंध कारपोरेशन एवं सफल निविदाकार के मध्य होगा। कारपोरेशन की ओर से संबंधित महाप्रबंधक अनुबंध करने हेतु अधिकृत होंगे।

#### 17. अनुमोदित निविदाकार द्वारा अनुबंध न करने की स्थिति में कार्यवाही :-

17.1 अनुमोदित निविदाकार द्वारा निर्दिष्ट अवधि में सुरक्षा राशि जमा कर अनुबंध करने में असमर्थ रहने की स्थिति में, तकनीकी बिड के साथ जमा EMD राशि राजसात कर ली जायेगी। और आगामी एक वर्ष तक कारपोरेशन की निविदा में भाग लेने से वंचित कर दिया जायेगा।

17.2 यदि सफल निविदाकार द्वारा सुरक्षा राशि जमा करने के उपरांत भी कारपोरेशन के साथ अनुबंध नहीं किया जाता है तो निविदाकार की EMD राशि एवं सुरक्षा राशि राजसात करते हुए H-2 निविदाकार को H-1 की दर पर गेहूं क्रय हेतु ऑफर किया जाएगा।

#### 18. क्षतिग्रस्त खाद्यान्न, उठाव की प्रक्रिया -

- 18.1 कारपोरेशन के जिला प्रबंधक द्वारा प्रत्येक भण्डारण स्थल हेतु पृथक-पृथक डिलीवरी आर्डर जारी किया जायेगा।
- 18.2 विक्रय मूल्य के पूर्ण भुगतान के पश्चात निविदाकार को ई-मेल के माध्यम से कारपोरेशन मुख्यालय को किये गये भुगतान का विवरण प्रमाण सहित प्रेषित करना होगा। उक्त की पुष्टि उपरांत ही कारपोरेशन मुख्यालय द्वारा सफल निविदाकार के नाम से संबंधित स्कंध का डिलेवरी आर्डर जारी किये जाने हेतु संबंधित जिले को पत्र के साथ एडवाईज प्रेषित की जावेगी।
- 18.3 संबंधित जिले द्वारा मुख्यालय में प्रेषित एडवाईज पत्र दिनांक से तीन कार्य दिवस के अंदर सफल निविदाकार की ई-मेल आईडी पर डिलीवरी आर्डर प्रेषित कर कारपोरेशन मुख्यालय को भी सूचित किया जायेगा उठाव अवधि की गणना डीओ जारी दिनांक के दूसरे कार्य दिवस से की जायेगी।
- 18.4 निविदाकार के प्रतिनिधि के पास निविदाकार द्वारा जारी राशि रूपये 100/- के नॉन ज्यूडिशियन स्टाम्प पेपर पर अधिकार पत्र मय प्रतिनिधि के प्रमाणित फोटो एवं निविदाकार के प्रतिनिधि का फोटो पहचान पत्र होना अनिवार्य है।
- 18.5 स्कंध की डिलेवरी सम्बन्धित गोदाम पर कारपोरेशन के प्रतिनिधि की उपस्थिति में की जायेगी। उक्त डिलीवरी में स्कंध की डिलीवरी कारपोरेशन द्वारा निर्धारित धर्म कांटे अथवा तौल कांटे पर 100 प्रतिशत तौलकर दी जायेगी। स्कंध की डिलीवरी भण्डारण एजेंसी के साधारण कार्य अवधि में ही की जायेगी। स्कंध की डिलीवरी के पश्चात स्कंध की मात्रा में कोई कमी पाई जाती है, तो इस हेतु कारपोरेशन की कोई जवाबदेही नहीं होगी।
- 18.6 शासकीय अवकाश के दिन किसी भी प्रकार से स्कंध की डिलीवरी नहीं की जायेगी।
- 18.7 स्कंध की डिलीवरी के दौरान होने वाली विभिन्न गतिविधियों जैसे स्टेक को तोड़ना, हम्माली, लोडिंग, तौल इत्यादि पर होने वाले समस्त व्यय क्रेता को वहन करने होंगे
- 18.8 स्कंध डिलीवरी के समय प्रतिक्विंटल मान से अधिकतम 2 बारदाने ही कारपोरेशन द्वारा दिए जायेंगे। अतिरिक्त बारदाने की व्यवस्था क्रेता को ही करनी होगी, कारपोरेशन अतिरिक्त बारदाने की व्यवस्था बनाने में सहभागी नहीं होगा। बारदाने की व्यवस्था न होने के कारण उठाव में बिलम्ब स्वीकार योग्य नहीं होगा और कारपोरेशन अनुबंध अनुसार कार्यवाही हेतु अग्रसर हो जाएगा।
- 18.9 यदि निविदाकार द्वारा ऐसे स्कंध का क्रय किया जाता है जो कि स्टील सायलो अथवा सायलो बैग में भण्डारित है, तो स्कंध की डिलेवरी के समय क्रेता को स्कंध की भर्ती हेतु बारदाने की व्यवस्था स्वयं करनी होगी इस बारदाने में सायलो एजेंसी द्वारा स्कंध भरकर एवं सिलाई कर निविदाकार को उपलब्ध कराया जायेगा, जिसके लिए कोई भी भुगतान निविदाकार को नहीं करना होगा। स्टील सायलों एवं सायलो बैग से स्कंध की भर्ती 50 किलो प्रति बारदाना की जायेगी। क्रेता को स्कंध की डिलीवरी भण्डारण एजेंसी के प्रतिनिधि द्वारा दी जायेगी तथा डिलीवरी के दौरान भण्डारण एजेंसी का प्रतिनिधि उपस्थित रहेगा।

- 18.10 GST, TCS, TDS सहित समस्त पर शुल्क एवं खर्च, जो भी यदि हो तो क्रेता को वहन करना होगा।
- 18.11 एक बार स्कंध की डिलीवरी हो जाती है, उसके पश्चात स्कंध की गुणवत्ता एवं भार के संबंध में कारपोरेशन की कोई जवाबदेही नहीं होगी।
- 18.12 कारपोरेशन द्वारा स्कंध की डिलीवरी के बाद इनवाइस जारी किया जावेगा।
- 18.13 सफल निविदाकार द्वारा क्रय की गई मात्रा से वास्तविक रूप से उपलब्ध मात्रा में यदि कोई कमी पाई जाती है तो क्रेता को स्कंध की डिलीवरी वास्तविक उपलब्धता के आधार पर की जाएगी। ऐसी स्थिति में खाद्यान्न के मात्रात्मक कमी की पूर्ति किसी अन्य गोदाम या स्थान से किसी भी स्थिति में नहीं की जाएगी। कम प्रदाय मात्रा की राशि निविदाकार को कारपोरेशन द्वारा अंतिम मिलान उपरान्त वापस की जायेगी।
- 18.14 सफल निविदाकार द्वारा क्रय की गई स्कंध की मात्रा से वास्तविक रूप से उपलब्ध मात्रा, यदि नमी आदि के कारण अधिक पाई जाती है तो क्रेता को उक्त लॉट की नमी आधिक्य सहित पूर्ण मात्रा की डिलीवरी लेना अनिवार्य होगा। इस हेतु अधिक प्रदाय की गई मात्रा की राशि निविदाकार द्वारा सम्बंधित जिला कार्यालय में जमा करना होगी।

#### 19. क्षतिग्रस्त खाद्यान्न के उठाव की समयावधि :-

- 19.1 सफल निविदाकार को क्रय किये गए क्षतिग्रस्त खाद्यान्न के विक्रय मूल्य की राशि जमा करने के बाद कारपोरेशन मुख्यालय द्वारा संबंधित जिले को डिलीवरी ऑर्डर जारी करने की दिनांक से आगामी 30 कार्य दिवस में क्रय किये गए खाद्यान्न की पूर्ण मात्रा का उठाव करना होगा।
- 19.2 स्कंध के उठाव में यदि क्रेता द्वारा कंडिका क्र. 19.1 में उल्लेखित बिलम्ब किया जाता है, तो निविदाकार द्वारा उठाव हेतु नियत अंतिम दिनांक में 1 सप्ताह पूर्व ई-मेल आई.डी. (pdsmpscsc@gmail.com) अथवा व्यक्तिगत रूप से लिखित में कारपोरेशन मुख्यालय वितरण शाखा में उठाव हेतु समयावृद्धि हेतु आवेदन प्रस्तुत करेगा।
- 19.3 कंडिका 19.2 अनुसार निविदाकार द्वारा आवेदन प्रस्तुत करने पर आवेदन प्रस्तुति की दिनांक से कारपोरेशन द्वारा सामान्यतः अधिकतम 3 दिवस में उठाव की गति एवं परिस्थितियों आदि का अवलोकन करने के पश्चात प्रबंध संचालक द्वारा उठाव की अवधि में अधिकतम 30 कार्य दिवस तक की वृद्धि की जा सकेगी। यह समयावधि वृद्धि पेनाल्टी के रूप में उक्त शेष मात्रा हेतु वर्तमान भण्डारण शुल्क की दरों पर क्रेता द्वारा कारपोरेशन के संबंधित जिला कार्यालय के खाते में 60 दिवस का भंडारण शुल्क जमा किया जाकर 30 दिवस की वृद्धि की जा सकेगी। यह वृद्धि सामान्यतः प्रथम व अंतिम रहेगी।
- 19.4 कंडिका- 19.3 अनुसार यदि निर्धारित समय अवधि में क्रेता उठाव करने में विफल रहता है तो डिलीवरी ऑर्डर को रद्द मान्य करते हुए क्रेता द्वारा जमा समस्त जमा राशि जब्त कर ली जावेगी।

#### 20. निविदाकार से अपेक्षित सावधानियां:-

- 20.1 निविदा के दौरान निविदाकार द्वारा ऑफर की गई दर को निविदाकार द्वारा निरस्त नहीं किया जा सकेगा।

- 20.2 निविदा प्रक्रिया के परिणाम समस्त निविदाकारों पर बंधनकारी होंगे। निविदा उपरांत यदि किसी निविदाकार द्वारा ऑफर दर को निरस्त करने अथवा परिवर्तन करने हेतु आवेदन किया जाता है तो सम्बंधित निविदाकार की अमानत राशि राजसात की जायेगी।
- 20.3 <http://mptenders.gov.in> पोर्टल पर निविदाकार के यूजरनेम एवं पासवर्ड का उपयोग कर ऑफर की गई समस्त दरें निविदाकार पर बंधनकारी होगी उक्त हेतु निविदाकार स्वयं जिम्मेदार रहेंगे। इसलिए निविदाकारों को सलाह दी जाती है कि वे अपना यूजरनेम एवं पासवर्ड सुरक्षित रखे एवं किसी के भी साथ साझा न करें।
- 20.4 निविदा प्रक्रिया में भाग लेने वाले समस्त निविदाकारों से अपेक्षा की जाती है कि वे निविदा प्रक्रिया में जिम्मेदारी से भाग लें एवं ऐसी कोई भी दर नहीं प्रस्तावित करें जो अव्यवहारिक हो एवं जिससे निविदा की सहज प्रक्रिया प्रभावित हो और जिससे बाजार का सन्तुलन प्रभावित होता हो। यदि कोई ऐसे प्रकरण प्राप्त होते हैं जिसमें निविदाकार द्वारा ऐसा कोई कृत किया जाता है जिससे निविदा की सहज प्रक्रिया प्रभावित होती है अथवा ऐसी कोई प्रस्तावित की जाती है जो अव्यवहारिक है एवं जिनसे बाजार का संतुलन बिगड़ता है, तो सम्बंधित निविदाकार को बिना किसी सूचना के निविदा प्रक्रिया से बाहर कर अमानत राशि राजसात की जायेगी। इस संबंध में कारपोरेशन द्वारा लिया गया निर्णय अंतिम होगा एवं सम्बंधित निविदाकारों पर बंधनकारी होगा।
- 20.5 H-1 को स्वीकार करने अथवा अस्वीकार करने के साथ साथ किसी भी लॉट की मात्रा में परिवर्तन करने का पूरा अधिकार कारपोरेशन के प्रबंध संचालक को होगा। इस पर निविदाकार की कोई आपत्ति मान्य नहीं होगी।

## 21. क्रेता की अकर्मण्यता :-

निम्नलिखित प्रकरणों को क्रेता की अकर्मण्यता मान्य किया जावेगा:-

- 21.1 सफल निविदाकार द्वारा निर्धारित समयावधि में निर्धारित अमानत राशि, सुरक्षानिधि एवं विक्रय मूल्य आदि न जमा किया जाना, क्रेता की अकर्मण्यता माना जायेगा।
- 21.2 सफल निविदाकार द्वारा स्कंध के उठाव हेतु निर्धारित समय सीमा में उठाव न किया जाना, क्रेता की अकर्मण्यता माना जायेगा।
- 21.3 उक्त अकर्मण्यता हेतु निविदाकार के विरुद्ध इस निविदा पत्रक की विभिन्न कंडिकाओं में दिए गए प्रावधानों के अनुसार कार्यवाही की जायेगी।
- 21.4 ऑनलाइन पोर्टल के शुल्क अथवा अन्य व्यवहारिक खर्चों का भुगतान क्रेता द्वारा नहीं किया जाना, क्रेता की अकर्मण्यता माना जायेगा।

## 22. तकनीकी निविदा निरस्ती के आधार:-

निविदाकार द्वारा कंडिका- 3 के अनिवार्य अर्हता संबंधी किसी भी वांछित दस्तावेज को प्रस्तुत नहीं किया है तो निविदा निरस्त कर दी जायेगी। जिसका संक्षिप्त विवरण निम्नानुसार है:-

1. निविदाकार का परिचय एवं संक्षिप्त विवरण हेतु निविदा दस्तावेज के परिशिष्ट-02 को पूर्णत भरकर संलग्न नहीं किया हो।
2. भारतीय खाद्य निगम से विभिन्न श्रेणियों के क्षतिग्रस्त खाद्यान्न क्रय करने हेतु जारी वैध लाइसेंस की स्वप्रमाणित छायाप्रति संलग्न नहीं की हो।
3. सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी विभिन्न श्रेणी ( फीड 1, फीड 2, फीड 3, इण्डस्ट्रीयल यूज़ एवं मैन्योर) के क्षतिग्रस्त खाद्यान्न की प्रोसेसिंग से संबंधित इण्डस्ट्रीयल लाइसेंस अथवा रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट की स्वाप्रमाणित प्रति संलग्न नहीं की हो।
4. निविदाकार द्वारा जिस नाम से निविदा में भाग लिया जा रहा है उसी नाम से पैन कार्ड की स्वप्रमाणित छायाप्रति संलग्न नहीं की हो।
5. सक्षम विभाग द्वारा जारी GST का जीवित पंजीयन की स्वप्रमाणित- हस्ताक्षरित छायाप्रति संलग्न नहीं की हो।
6. भारत सरकार/ राज्य शासन अथवा उनके उपक्रम शासकीय/अर्द्धशासकीय संस्था द्वारा क्षतिग्रस्त खाद्यान्न की निविदा में भाग लेने हेतु ब्लैकलिस्टेड नहीं होने संबंधी वांछित दस्तावेज के परिशिष्ट- 5 में नोटराईड अभिवचन संलग्न नहीं किया हो।
7. निविदा दस्तावेज की कंडिका क्र. 3 में उल्लेख अनुसार यथा स्थिति दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया हो।
8. निविदाकार द्वारा इस निविदा दस्तावेज के प्रत्येक पृष्ठ पर मय सील अधिकृत व्यक्ति के हस्ताक्षर सहित ऑनलाईन अपलोड नहीं किया गया हो।
9. तकनीकी बिड के साथ EMD राशि जमा की हो एवं EMD राशि जमा करने संबंधी जानकारी अपलोड नहीं की हो। समय पर EMD किसी भी तकनीकी व अन्य कारणों से जमा न हो पाना अथवा EMD जमा की पुष्टि न हो पाने पर निविदा निरस्त की जाएगी।
10. किसी भी प्रकार से वित्तीय दरों को उल्लेखित, प्रदर्शित की जायेगी। अंकित करने पर बिड निरस्त की जायेगी।
11. निविदा में वर्णित नियम व शर्तों के विपरीत तकनीकी बिड प्रस्तुत की हो।
12. कूट रचित दस्तावेज प्रस्तुत करने पर बिड निरस्त की जायेगी।
13. निविदा शुल्क परिशिष्ट-4 अनुसार जानकारी भरकर निविदा दस्तावेज के तकनीकी में प्रस्तुत नहीं किये जाने पर निविदा निरस्त मानी जायेगी एवं निविदा शुल्क की राशि संबंधित खाते में जमा प्रमाणित न पाये जाने पर भी निविदा निरस्त मानी जायेगी |

### 23. नियम बनाने का अधिकार/ व्याख्या करना/ निर्देश दिये जाना :-

कार्पोरेशन के प्रबंध संचालक के पास स्कंध विक्रय की इस निविदा संबंधी नीति बनाने व उक्त संदर्भ में निर्देश दिये जाने एवं किसी भी धारा की व्याख्या करने का अधिकार सुरक्षित रहेगा। निविदा दस्तावेज एवं अनुबंध के प्रावधानों के विषय में अभिप्राय (Interpretation) के संबंध में कोई विवाद की स्थिति उत्पन्न होने पर कार्पोरेशन के प्रबंध संचालक का निर्णय उभय पक्षों के लिए अंतिम एवं बंधनकारी होगा। निविदा दस्तावेज में उल्लेखित उठाव की समयावधि संबंधी कंडिका 19 के प्रावधान के अतिरिक्त उठाव हेतु शेष रही मात्रा का

प्रकरण गुणदोष आधार पर भण्डारण शुल्क एक माह के गुणांक में जमा करने पर समयावृद्धि किये जाने के अधिकार प्रबंध संचालक को होंगे।

#### 24. निविदा में संशोधन/परिवर्तन :-

24.1 निविदा की शर्तों में निविदा जमा करने हेतु नियत अंतिम तिथि से 3 दिवस पूर्व तक आवश्यक संशोधन, क्लेरीफिकेशन परिमार्जन आदि कर सकता है। सभी संशोधन, क्लेरीफिकेशन, परिमार्जन आदि सिर्फ अधिकृत <https://mptenders.gov.in> वेबसाइट एवं कापॉरेशन की वेबसाइट पर ही प्रदर्शित होंगे।

24.2 सभी निविदाकर्ताओं का दायित्व है, कि वे समय पर <https://mptenders.gov.in> वेबसाइट पर इस निविदा सूचना के तहत संशोधनों को भी देखते रहें। निविदाकार को उक्तानुसार संशोधनों आदि के कारण किसी भी प्रकार की त्रुटि, भ्रान्ति, शंका व वेबसाइट अपडेट रूप से न देखने के कारण असफलता हानि या किसी प्रकार की क्षति होती है तो कापॉरेशन उत्तरदायी नहीं होगा।

#### 25. संविदा को शासित करने वाले कानून/विधि :-

संविदा, तत्समय भारत में प्रभावशील कानूनों/विधियों द्वारा शासित अर्थात् लागू होगा।

#### 26. क्षतिपूर्ति

क्रेता द्वारा की गई देरी, अकर्मण्यता, स्कंध प्राप्ति में असफलता, निविदा की शर्तों के उलंघन, वैधानिक प्रावधानों के उलंघन, से कापॉरेशन को होने वाली क्षति, क्लेम, मुआवजा, दण्ड एवं अन्य समस्त प्रकार की क्षति के विरुद्ध क्षतिपूर्ति की जिम्मेदारी क्रेता की होगी व हानि की समस्त क्षति की उनसे वसूली की जायेगी।

#### 27 मुजरा- (सेट ऑफ):-

अनुबंधकर्ता को अनुबंध के अन्तर्गत कोई भी देय/भुगतान योग्य किसी भी राशि को (देय प्रतिपूर्ति राशि सहित) किसी भी समय अनुबंध अथवा अन्य संविदा के अंतर्गत set off करने के लिए समायोजित की जा सकेगी।

#### 28. अप्रत्याशित घटना (फोर्स मेजर): -

28.1 अप्रत्याशित घटना अर्थात् ऐसी स्थिति अथवा परिस्थितियों का समावेश जो कि किसी भी पक्षकार के नियंत्रण से परे है. जो कि पूर्ण विवेक से निविदा की शर्तों का पालन करने एवं समस्त प्रकार की सावधानी रखने के बाद भी रोकी नहीं जा सकती। ऐसी परिस्थितियां जो कि समस्त पक्षकार को निविदा के समस्त प्रावधानों को पूर्णरूप से अथवा आंशिक रूप से पालन करने से रोकती हों। ऐसी परिस्थितियों में शामिल है:- (a.) प्राकृतिक आपदा जैसे आग, सूखा, बाढ़, भूकंप, महामारी इत्यादि (b) दुर्घटना जैसे कि इण्डस्ट्रीयल दुर्घटना, आतंकवाद इत्यादि।

28.2 हड़ताल, लॉडाउन, इंडस्ट्रीयल डिस्प्यूट इत्यादि (a) युद्ध, दंगा, बंद, सिविल बार (b) किसी नवीन कानून की उद्घोषणा अथवा वर्तमान कानून में संशोधन, किसी प्रकार की निषेधाज्ञा, न्यायालयीन आदेश अथवा कोई सरकारी आदेश जो कि पक्षकारों को निविदा के प्रावधानों को आंशिक अथवा पूर्ण रूप से पालन करने से रोके अन्य कोई परिस्थिति जो कि उपरोक्त परिस्थितियों के समकक्ष हो।

- 28.3 कोई भी पक्षकार उक्त परिस्थितियों के कारण राशि के भुगतान की बाध्यता को छोड़ कर अन्य होने वाली देरी अथवा अकर्मण्यता के लिए जिम्मेदार नहीं रहेंगे।
- 28.4 अप्रत्याशित घटना घटित होने के दौरान कारपोरेशन के पास पूर्ण अधिकार हैं कि वह निविदा दस्तावेज के किसी भी प्रावधान को परिवर्तित कर सकते हैं एवं विशेष परिस्थिति में अप्रत्याशित घटना घटित होने की समयावधि में अनुबंध को रद्द भी कर सकते हैं। क्रेता इस बात से पूर्ण सहमत है कि उनके पास इस प्रकार अनुबंध रद्द होने के विरुद्ध आपत्ति दर्ज करने अथवा कानूनी सहायता प्राप्त करने के कोई अधिकार नहीं होंगे।
- 28.5 क्रेता इस बात से पूर्ण सहमत होते हैं कि यदि अप्रत्याशित घटना की स्थिति लम्बी अवधि तक बनी रहती है तो कारपोरेशन द्वारा अनुबंध को पूर्णतः समाप्त भी किया जा सकता है एवं क्रेता के पास इस प्रकार अनुबंध समाप्त किये जाने के विरुद्ध आपत्ति दर्ज करने अथवा कानूनी सहायता प्राप्त करने के कोई अधिकार नहीं होंगे।
- 28.6 अप्रत्याशित घटना घटित होने के तीन दिवस के भीतर उभय पक्ष परस्पर इस घटना से अवगत करायेंगे एवं इस सम्बन्ध में कारपोरेशन का निर्णय अंतिम एवं मान्य होगा।

### 29. भ्रष्ट आचरण:-

किसी भी निविदाकार द्वारा किसी भी प्रकार के भ्रष्ट आचरण जैसे रिश्वत, कमीशन लालच आदि के माध्यम से निविदा प्रक्रिया को प्रभावित नहीं किया जाएगा।

### 30. सामान्य प्रावधान :-

- 30.1 शासकीय कानून- इस निविदा प्रक्रिया का संचालन भारत गणराज्य के सामान्य विधिक नियमों के अधीन है। इस निविदा के समस्त पक्षकार इस बात पर सहमत हैं कि किसी भी प्रकार से विवाद की स्थिति में मामले का न्यायिक क्षेत्र भोपाल होगा।
- 30.2 संवेदनशीलता- यदि इस निविदा दस्तावेज का कोई भी प्रावधान अमान्य पाया जाता है अथवा नहीं लागू करने योग्य नहीं पाया जाता है तो इस निविदा दस्तावेज के अन्य प्रावधान जो कि मान्य हैं एवं लागू करने योग्य हैं, वे यथावत रहेंगे। समस्त पक्षकार इस बात से सहमत हैं कि निविदा दस्तावेज के अमान्य प्रावधान को मान्य प्रावधान से इस प्रकार बदला जायेगा कि दस्तावेज का मूल प्रयोजन एवं आर्थिक प्रभाव यथावत रहे।
- 30.3 समस्त दस्तावेज:- यह निविदा दस्तावेज, इसके समस्त परिशिष्टों एवं संदर्भित प्रावधानों के साथ संपूर्ण दस्तावेज का कार्य करता है जिसका उपयोग पक्षकारों द्वारा आगामी व्यवहार में किया जावेगा।

### 31. उपयुक्त कानून, विवादों का निराकरण एवं अधिकार क्षेत्र:-

- 31.1 यह निविदा दस्तावेज इसके समस्त पक्षकारों के मध्य व्यवहार का आधार है जो कि भारत गणराज्य के सामान्य कानून के अधीन है एवं किसी भी प्रकार के विवाद के निराकरण हेतु अधिकार क्षेत्र केवल भोपाल स्थित न्यायालय एवं उच्च न्यायालय जबलपुर के पास सुरक्षित है और समस्त पक्षकार इस बात पर सहमत हैं कि किसी भी प्रकार के विवाद के निराकरण हेतु वे प्रकरण को उपरोक्त न्यायालयों में प्रस्तुत कर सकेंगे।

- 31.2 इस निविदा दस्तावेज एवं इसके संचालन से सम्बंधित समस्त विवाद जैसे कि किसी प्रावधान की व्याख्या, किसी प्रावधान की वैधता, पक्षकारों के अधिकार एवं कर्तव्य, का निराकरण प्रथमतः आपसी चर्चा के अनुसार निराकृत किये जाने के प्रयास किये जायेंगे, जिसके असफल होने पर उक्त विवाद का निराकरण मध्यस्थता के आधार पर किया जाएगा। आर्बिट्रेटर, आयुक्त सह संचालक (खाद्य), नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्तता संरक्षण संचालनालय मध्यप्रदेश भोपाल होंगे। मध्यस्थता की प्रक्रिया मध्यस्थता एवं सुलह अधिनियम 1996 (अभी तक के संशोधन सहित) के अधीन होगी। मध्यस्था का स्थान भोपाल, मध्यप्रदेश होगा एवं मध्यस्थता की भाषा हिंदी अथवा अंग्रेजी होगी।
- 31.3 इस दस्तावेज का कोई भी प्रावधान कार्पोरेशन को निविदाकार के विरुद्ध न्यायालय में अंतरिम निषेधाज्ञा की राहत प्राप्त करने का अधिकार होगा।
- 31.4 सफल निविदाकार स्थानीय कानून, श्रम कानून आदि का पालन करने हेतु बाध्य होंगे।
32. किसी भी निविदा को बिना कारण बताये पूर्ण आंशिक/मान्य, अमान्य करने का अधिकार प्रबंध संचालक को है।
33. कार्पोरेशन का कर्तव्य :-

एक बार क्रेता द्वारा सम्पूर्ण राशि का भुगतान कर दिया जाता है तो उक्त के पश्चात कार्पोरेशन यथासंभव क्रेता को स- समय स्कंध का डिलीवरी आर्डर जारी कर स्कंध की डिलीवरी देना। भंडारण स्थान पर स्कंध की मात्रात्मक कमी की स्थिति में कंडिका- 18.13 अनुसार कम प्रदाय मात्रा की राशि निविदाकार को कार्पोरेशन द्वारा अंतिम मिलान उपरांत 07 कार्य दिवस में भुगतान की जायेगी



सभागवार, जिलावार विक्रय हेतु क्षतिग्रस्त खाद्यान्न के चिह्नित लॉट, रिजर्व प्राइज एव EMD का विवरण											मात्रा विवटल में एवं राशि रुपये में	
संभाग	जिले का नाम	खाद्यान्न का नाम	गोदाम का नाम	स्टेक नम्बर	उपार्जित स्कंध वर्ष	श्रेणी	कुल क्षतिग्रस्त खाद्यान्न की मात्रा (विवटल में.)	कुल बारदाना	EMD राशि	Reserve Price (Rs Per Qntl)	Lot no	
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
नर्मदापुरम	नर्मदापुरम	गेहूँ	नीलम एगो वेयर हाउस	18	2021-22	FEED I	188.000	400.00	22000.00	1185.00	1156/1	
नर्मदापुरम	नर्मदापुरम	गेहूँ	मकता लॉजिस्टिक्स	2/1	2021-22	FEED I	20.000	40.00				
नर्मदापुरम	नर्मदापुरम	गेहूँ	श्री शुभम लॉजिस्टिक्स लि.	1/1	2021-22	FEED I	67.410	134.00				
नर्मदापुरम	नर्मदापुरम	गेहूँ	बाला जी एग्री कॉम्प्रेक्स	2	2021-22	FEED I	79.500	159.00				
			<b>Total</b>				<b>354.910</b>					
नर्मदापुरम	नर्मदापुरम	गेहूँ	मधुमहेश्वर वेयर हाउस	A/18	2021-22	FEED II	211.160	400.00	11000.00	987.50	1156/2	
			<b>Total</b>				<b>211.160</b>					
नर्मदापुरम	नर्मदापुरम	गेहूँ	ओपन कैप/पी.ई गोदाम 9/1	1	2018-19	FEED I	1145.000	2186.00	60000.00	1041.00	1156/3	
			<b>Total</b>				<b>1145.000</b>					
नर्मदापुरम	नर्मदापुरम	गेहूँ	सियाराम 25 A	1	2019-20	FEED I	380.300	931.00	116000.00	1104.00	1156/4	
नर्मदापुरम	नर्मदापुरम	गेहूँ	सियाराम 25 A	3	2019-20	FEED I	455.900	1116.00				
नर्मदापुरम	नर्मदापुरम	गेहूँ	सियाराम 25 A	5	2019-20	FEED I	1258.200	3080.00				
			<b>Total</b>				<b>2094.400</b>					
नर्मदापुरम	नर्मदापुरम	गेहूँ	सियाराम 25 A	2	2019-20	FEED II	283.100	693.00	21000.00	920.00	1156/5	
नर्मदापुरम	नर्मदापुरम	गेहूँ	सियाराम 25 A	4	2019-20	FEED II	163.800	396.00				
			<b>Total</b>				<b>446.900</b>					
ग्वालियर	श्योपुर	गेहूँ	पनामा सायलो इंडिया प्रा. लि. श्योपुर	1/A	2020-21	FEED III	150.000	0.00	235000.00	770.00	1156/6	
ग्वालियर	श्योपुर	गेहूँ	पनामा सायलो इंडिया प्रा. लि. श्योपुर	2/A	2020-21	FEED III	5950.000	0.00				
			<b>Total</b>				<b>6100.000</b>					
ग्वालियर	श्योपुर	गेहूँ	पनामा सायलो इंडिया प्रा. लि. श्योपुर	2/B	2020-21	FEED III	5950.000	0.00	312000.00	770.00	1156/7	
ग्वालियर	श्योपुर	गेहूँ	पनामा सायलो इंडिया प्रा. लि. श्योपुर	3/A	2020-21	FEED III	2000.000	0.00				
ग्वालियर	श्योपुर	गेहूँ	पनामा सायलो इंडिया प्रा. लि. श्योपुर	4/A	2020-21	FEED III	150.000	0.00				
			<b>Total</b>				<b>8100.000</b>					
ग्वालियर	श्योपुर	गेहूँ	पनामा सायलो इंडिया प्रा. लि. श्योपुर	2/C	2020-21	Industrial Use	5100.000	0.00	197000.00	577.50	1156/8	
ग्वालियर	श्योपुर	गेहूँ	पनामा सायलो इंडिया प्रा. लि. श्योपुर	4/B	2020-21	Industrial Use	1700.000	0.00				
			<b>Total</b>				<b>6800.000</b>					
ग्वालियर	श्योपुर	गेहूँ	पनामा सायलो इंडिया प्रा. लि. श्योपुर	3/B	2020-21	Industrial Use	5600.000	0.00	162000.00	577.50	1156/9	
			<b>Total</b>				<b>5600.000</b>					
ग्वालियर	श्योपुर	गेहूँ	पनामा सायलो इंडिया प्रा. लि. श्योपुर	1/B	2020-21	Manure Use	5940.000	0.00	101000.00	192.50	1156/10	
ग्वालियर	श्योपुर	गेहूँ	पनामा सायलो इंडिया प्रा. लि. श्योपुर	3/C	2020-21	Manure Use	2400.000	0.00				
ग्वालियर	श्योपुर	गेहूँ	पनामा सायलो इंडिया प्रा. लि. श्योपुर	4/C	2020-21	Manure Use	2100.000	0.00				
			<b>Total</b>				<b>10440.000</b>					
ग्वालियर	श्योपुर	ज्वार	CWC1	2B/3	2018-19	FEED I	20.730	25.00	2000.00	1458.00	1156/11	
			<b>Total</b>				<b>20.730</b>					
ग्वालियर	भिण्ड	ज्वार	SWC Gohad	1	2021-22	FEED II	243.520	500.00	50000.00	1369.00	1156/12	
ग्वालियर	भिण्ड	ज्वार	Guru Kripa 13 Mehganv	8	2021-22	FEED II	481.260	1000.00				
			<b>Total</b>				<b>724.780</b>					
ग्वालियर	गुना	बाजरा	WLC आरोन	3A/07	2019-20	FEED I	46.090	93.00	3000.00	1200.00	1156/13	
			<b>Total</b>				<b>46.090</b>					
ग्वालियर	गुना	ज्वार	WLC बीनागंज	4/1	2021-22	FEED I	850.290	1720.00	224000.00	1642.80	1156/14	
ग्वालियर	गुना	ज्वार	WLC राघवगढ़	4/6	2021-22	FEED I	888.730	1798.00				
ग्वालियर	गुना	ज्वार	WLC राघवगढ़	2/3	2021-22	FEED I	645.240	1300.00				
ग्वालियर	गुना	ज्वार	सलोनी MPWLC राघौगढ़	8/5	2021-22	FEED I	337.000	680.00				
			<b>Total</b>				<b>2721.260</b>					
सागर	छतरपुर	गेहूँ	चौधरी वेयरहाउस छतरपुर	1	2019-20	Manure Use	172.000	344.00	3000.00	184.00	1156/15	
सागर	छतरपुर	गेहूँ	बगोटा मंडी बीकेपी 83 छतरपुर	2	2019-20	Manure Use	120.000	240.00				
			<b>Total</b>				<b>292.000</b>					
सागर	दमोह	गेहूँ	सुभम लॉजिस्टिक्स कैप PMS शैलबाड़ा	1	2021-22	FEED I	265.650	924.00	16000.00	1185.00	1156/16	
			<b>Total</b>				<b>265.650</b>					
सागर	दमोह	ज्वार	स्वनिर्मित गोदाम नंबर 5A	31	2018-19	FEED I	16.000	34.00	1200.00	1458.00	1156/17	
			<b>Total</b>				<b>16.000</b>					
सागर	सागर	गेहूँ	MPWLC 4 मेंसा Sagar	1	2009-10	FEED II	87.200	146.00	2500.00	565.00	1156/18	
			<b>Total</b>				<b>87.200</b>					
सागर	सागर	गेहूँ	JK W.H Sagar	1	2020-21	FEED I	192.800	425.00	183000.00	1155.00	1156/19	
सागर	सागर	गेहूँ	JK W.H Sagar	3	2020-21	FEED I	158.950	327.00				
सागर	सागर	गेहूँ	JK W.H Sagar	4	2020-21	FEED I	178.950	431.000				
सागर	सागर	गेहूँ	JK W.H Sagar	5	2020-21	FEED I	217.920	646.000				
सागर	सागर	गेहूँ	Dev Prabha w/H	2	2020-21	FEED I	955.500	1913.000				
सागर	सागर	गेहूँ	Dev Prabha w/H	4	2020-21	FEED I	1458.500	2920.000				
			<b>Total</b>				<b>3162.620</b>					

## 1934093/2024/MPSCSC(Stock.dis)

संभाग	जिले का नाम	खापान्न का नाम	गोदाम का नाम	स्टेक नम्बर	उपार्जित स्केच वर्ष	श्रेणी	कुल क्षतिग्रस्त खापान्न की मात्रा (क्विंटल में.)	कुल बारदाना	EMD राशि	Reserve Price (Rs Per Qntl)	Lot no
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
सागर	सागर	गेहूँ	11 panchmeel Rehli	1	2021-22	FEED II	447.400	1194.000	22500.00	987.50	1156/20
						<b>Total</b>	<b>447.400</b>				
सागर	सागर	गेहूँ	F-06 बण्डा	6/3	2020-21	Manure Use	141.280	345.000	1400.00	192.50	1156/21
						<b>Total</b>	<b>141.280</b>				
सागर	सागर	गेहूँ	F-06 बण्डा	6/3	2021-22	Manure Use	12.000	25.000	120.00	197.50	1156/22
						<b>Total</b>	<b>12.000</b>				
सागर	सागर	ज्वार	14 रनगुवा रहली	1	2021-22	FEED II	199.000	409.000	14000.00	1369.00	1156/23
						<b>Total</b>	<b>199.000</b>				
सागर	टीकमगढ़	गेहूँ	MPWLC 1C बडोराघाट	01/c-5	2020-21	FEED II	1.500	3.000	100.00	962.50	1156/24
						<b>Total</b>	<b>1.500</b>				
सागर	टीकमगढ़	गेहूँ	Fedration o3 Jatara	03/06	2020-21	FEED I	29.900	73.000	2000.00	1155.00	1156/25
						<b>Total</b>	<b>29.900</b>				
सागर	टीकमगढ़	गेहूँ	Mahadev W/H palera 01	01/07	2021-22	FEED I	34.640	79.000	2100.00	1185.00	1156/26
						<b>Total</b>	<b>34.640</b>				
रीवा	अनूपपुर	गेहूँ	डीएमओ गोदाम कोतमा	1A/1	2019-20	Manure Use	353.000	704.00	3300.00	184.00	1156/27
						<b>Total</b>	<b>353.000</b>				
भोपाल	राजगढ़	गेहूँ	MPWLC नरसिंहगढ़ अंजनीलाल गोदाम नं 29	1	2020-21	FEED I	405.400	755.00	24000.00	1155.00	1156/28
						<b>Total</b>	<b>405.400</b>				
भोपाल	राजगढ़	ज्वार	MPWLC व्यावसाय मंडडा 06	11	2021-22	FEED I	690.000	1393.00	334000.00	1642.80	1156/29
भोपाल	राजगढ़	ज्वार	MPWLC व्यावसाय मंडडा 06	2	2021-22	FEED I	1070.000	2189.00			
भोपाल	राजगढ़	ज्वार	Marketing W/H no 5 नरसिंहगढ़	7	2021-22	FEED I	349.900	695.00			
भोपाल	राजगढ़	ज्वार	मां जालपा वेयरहाउस खिलचीपुर 16	8	2021-22	FEED I	570.900	1190.00			
भोपाल	राजगढ़	ज्वार	PEG जीरापुर अनामिका वेयरहाउस 25	15	2021-22	FEED I	284.100	494.00			
भोपाल	राजगढ़	ज्वार	MPWLC नरसिंहगढ़ W/H no 3	3	2021-22	FEED I	220.800	451.00			
भोपाल	राजगढ़	ज्वार	MPWLC राजगढ़ 02	1	2021-22	FEED I	873.100	1781.00			
						<b>Total</b>	<b>4058.800</b>				
भोपाल	राजगढ़	ज्वार	MPWLC सारंगपुर	23	2021-22	FEED III	15.900	15.00	900.00	1095.20	1156/30
						<b>Total</b>	<b>15.900</b>				
भोपाल	राजगढ़	बाजरा	MPWLC व्यावसाय मंडडा 10	5	2019-20	FEED I	57.300	100.00	3500.00	1200.00	1156/31
						<b>Total</b>	<b>57.300</b>				
भोपाल	राजगढ़	गेहूँ	MPWLC कुरावर श्री राम गोदाम न	3	2020-21	FEED I	677.300	1134.00	40000.00	1155.00	1156/32
						<b>Total</b>	<b>677.300</b>				
भोपाल	विदिशा	गेहूँ	कृष्णा मल्टीपरपज वेयरहाउस 25	1	2019-20	FEED II	605.900	1578.00	28000.00	920.00	1156/33
						<b>Total</b>	<b>605.900</b>				
भोपाल	विदिशा	ज्वार	MPWLC no 3 Vidisha	11	2021-22	FEED I	1725.200	3528.00	200000.00	1642.80	1156/34
भोपाल	विदिशा	ज्वार	MPWLC no 3 Vidisha	10	2021-22	FEED I	160.000	337.00			
भोपाल	विदिशा	ज्वार	MPWLC no 2 Sironj	3/6	2021-22	FEED I	541.900	1120.00			
						<b>Total</b>	<b>2427.100</b>				
भोपाल	विदिशा	ज्वार	MPWLC no 7A Bashoda	3	2021-22	FEED II	245.000	500.00	17000.00	1369.00	1156/35
						<b>Total</b>	<b>245.000</b>				
भोपाल	सीहोर	गेहूँ	MPWLC 5 सीहोर	1	2018-19	FEED III	268.560	625.00	9500.00	694.00	1156/36
						<b>Total</b>	<b>268.560</b>				
भोपाल	सीहोर	गेहूँ	मां नर्मदा वेयरहाउस 21 नसरुल्लागंज	1	2018-19	FEED I	791.500	1138.00	82000.00	1041.00	1156/37
भोपाल	सीहोर	गेहूँ	मां नर्मदा वेयरहाउस 21 नसरुल्लागंज	2	2018-19	FEED I	765.100	1100.00			
						<b>Total</b>	<b>1556.600</b>				
भोपाल	सीहोर	गेहूँ	ई.पी.एचो ई. फा. स्ट्रेक्चर बकतरा 28	41	2020-21	FEED I	1250.000	2500.00	93000.00	1155.00	1156/38
भोपाल	सीहोर	गेहूँ	ई.पी.एचो ई. फा. स्ट्रेक्चर बकतरा 28	42	2020-21	FEED I	350.000	700.00			
						<b>Total</b>	<b>1600.000</b>				
भोपाल	सीहोर	गेहूँ	स्वानिर्मित गोदाम 2 सीहोर	9	2014-15	FEED I	103.420	227.00	4500.00	840.00	1156/39
						<b>Total</b>	<b>103.420</b>				
भोपाल	भोपाल	गेहूँ	SWC Berasia	4	2012-13	Manure Use	20.000	50.00	150.00	122.80	1156/40
						<b>Total</b>	<b>20.000</b>				
सागर	पन्ना	गेहूँ	09 मंडी गोदाम पयई	9/2	2016-17	Feed I	415.580	837.00	20000.00	915.00	1156/41
						<b>Total</b>	<b>415.580</b>				
सागर	पन्ना	गेहूँ	ओपन कैप सुगरहा कैप	12	2019-20	manure use	224.040	440.00	2100.00	184.00	1156/42
						<b>Total</b>	<b>224.040</b>				
सागर	पन्ना	गेहूँ	ओपन कैप सुगरहा कैप	A7	2020-21	Feed III	410.620	825.00	207000.00	770.00	1156/43
सागर	पन्ना	गेहूँ	ओपन कैप सुगरहा कैप	C14	2020-21	Feed III	64.700	130.00			
सागर	पन्ना	गेहूँ	ओपन कैप सुगरहा कैप	D13	2020-21	Feed III	628.120	1262.00			
सागर	पन्ना	गेहूँ	ओपन कैप सुगरहा कैप	D22	2020-21	Feed III	399.760	763.00			
सागर	पन्ना	गेहूँ	ओपन कैप सुगरहा कैप	E8	2020-21	Feed III	323.520	650.00			
सागर	पन्ना	गेहूँ	ओपन कैप सुगरहा कैप	G21	2020-21	Feed III	1505.100	3024.00			
सागर	पन्ना	गेहूँ	ओपन कैप सुगरहा कैप	H2	2020-21	Feed III	519.530	1084.00			
सागर	पन्ना	गेहूँ	ओपन कैप सुगरहा कैप	H3	2020-21	Feed III	1508.070	3030.00			
						<b>Total</b>	<b>5359.420</b>				

1934093/2024/MPSCSC(Stock.dis)

संभाग	जिले का नाम	खाद्यान्न का नाम	गोदाम का नाम	स्टेक नम्बर	उपार्जित स्कंध वर्ष	श्रेणी	कुल क्षतिग्रस्त खाद्यान्न की मात्रा (क्विंटल मे.)	कुल बारदाना	EMD राशि	Reserve Price (Rs Per Qntl)	Lot no
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
सागर	पन्ना	गेहूँ	ओपन कैप सगरहा कैप	A20	2020-21	Feed II	270.760	544.00	92000.00	962.50	1156/44
सागर	पन्ना	गेहूँ	ओपन कैप सगरहा कैप	B9	2020-21	Feed II	905.850	1820.00			
सागर	पन्ना	गेहूँ	ओपन कैप सगरहा कैप	C13	2020-21	Feed II	134.380	270.00			
सागर	पन्ना	गेहूँ	ओपन कैप सगरहा कैप	D17	2020-21	Feed II	418.080	840.00			
सागर	पन्ना	गेहूँ	11 Mpwlc ajaygadh panna	2	2020-21	Feed II	177.610	317.00			
						<b>Total</b>	<b>1906.680</b>				
सागर	पन्ना	गेहूँ	ओपन कैप सगरहा कैप	B11	2020-21	Industrial use	497.720	1000.00	70000.00	577.50	1156/45
सागर	पन्ना	गेहूँ	ओपन कैप सगरहा कैप	D26	2020-21	Industrial use	199.090	400.00			
सागर	पन्ना	गेहूँ	ओपन कैप सगरहा कैप	E14	2020-21	Industrial use	1162.670	2336.00			
सागर	पन्ना	गेहूँ	ओपन कैप सगरहा कैप	G30	2020-21	Industrial use	547.490	1100.00			
						<b>Total</b>	<b>2406.970</b>				
सागर	पन्ना	ज्वार	11 अजयगढ़	1A	2019-20	Feed I	13.310	6.00	1100.00	1530.00	1156/46
						<b>Total</b>	<b>13.310</b>				
सागर	पन्ना	ज्वार	11 अजयगढ़	1B	2020-21	Feed I	49.720	83.00	4000.00	1572.00	1156/47
						<b>Total</b>	<b>49.720</b>				
सागर	पन्ना	ज्वार	11 अजयगढ़	6	2021-22	Feed II	1817.730	3663.00	125000.00	1369.00	1156/48
						<b>Total</b>	<b>1817.730</b>				
रीवा	सिंगरौली	गेहूँ	कैप गोडबहरा	6	2022-23	Feed II	904.000	1859.00	102000.00	1007.50	1156/49
रीवा	सिंगरौली	गेहूँ	कैप गोडबहरा	44	2022-23	Feed II	1115.200	1995.00			
						<b>Total</b>	<b>2019.200</b>				
रीवा	सिंगरौली	गेहूँ	कैप गोडबहरा	43	2022-23	Feed I	966.800	1755.00	59000.00	1209.00	1156/50
						<b>Total</b>	<b>966.800</b>				
रीवा	सिंगरौली	गेहूँ	कैप गोडबहरा	45	2022-23	Feed III	986.000	1764.00	66000.00	806.00	1156/51
रीवा	सिंगरौली	गेहूँ	मंडी गोदाम सिंगरौली	48	2022-23	Feed III	632.000	1260.00			
						<b>Total</b>	<b>1618.000</b>				
रीवा	सीधी	गेहूँ	Swc नोटिया 03 सीधी	03/03	2018-19	Feed III	927.880	1985.00	33000.00	694.00	1156/52
						<b>Total</b>	<b>927.880</b>				
रीवा	सीधी	गेहूँ	Swc कैप नेबूहा मझौली सीधी	A2	2021-22	Feed I	326.400	630.00	145000.00	1185.00	1156/53
रीवा	सीधी	गेहूँ	Swc कैप नेबूहा मझौली सीधी	D5	2021-22	Feed I	1134.000	2187.00			
रीवा	सीधी	गेहूँ	Swc कैप नेबूहा मझौली सीधी	D6	2021-22	Feed I	124.900	241.00			
रीवा	सीधी	गेहूँ	Swc कैप नेबूहा मझौली सीधी	D9	2021-22	Feed I	849.700	1640.00			
						<b>Total</b>	<b>2435.000</b>				
रीवा	सीधी	गेहूँ	Swc कैप नेबूहा मझौली सीधी	A3	2021-22	Feed II	774.600	1495.00	213000.00	987.50	1156/54
रीवा	सीधी	गेहूँ	Swc कैप नेबूहा मझौली सीधी	D1	2021-22	Feed II	471.500	910.00			
रीवा	सीधी	गेहूँ	Swc कैप नेबूहा मझौली सीधी	D2	2021-22	Feed II	259.100	500.00			
रीवा	सीधी	गेहूँ	Swc कैप नेबूहा मझौली सीधी	D3	2021-22	Feed II	544.000	1050.00			
रीवा	सीधी	गेहूँ	Swc कैप नेबूहा मझौली सीधी	D4	2021-22	Feed II	443.000	855.00			
रीवा	सीधी	गेहूँ	Swc कैप नेबूहा मझौली सीधी	D7	2021-22	Feed II	1075.600	2076.00			
रीवा	सीधी	गेहूँ	Swc कैप नेबूहा मझौली सीधी	D11	2021-22	Feed II	738.300	1425.00			
						<b>Total</b>	<b>4306.100</b>				
रीवा	सीधी	गेहूँ	Swc कैप नेबूहा मझौली सीधी	A13	2021-22	Feed III	72.500	140.00	3000.00	790.00	1156/55
						<b>Total</b>	<b>72.500</b>				
रीवा	सीधी	गेहूँ	Swc कैप नेबूहा मझौली सीधी	D10	2021-22	Industrial use	607.800	1173.00	18500.00	592.50	1156/56
						<b>Total</b>	<b>607.800</b>				
रीवा	सतना	गेहूँ	ओपन कैप रेउरा	184	2020-21	Feed III	551.170	1069.00	272000.00	770.00	1156/57
रीवा	सतना	गेहूँ	ओपन कैप रेउरा	1383	2020-21	Feed III	119.620	232.00			
रीवा	सतना	गेहूँ	ओपन कैप रेउरा	14A9	2020-21	Feed III	207.000	400.00			
रीवा	सतना	गेहूँ	ओपन कैप रेउरा	15C1	2020-21	Feed III	767.210	1488.00			
रीवा	सतना	गेहूँ	ओपन कैप चोरहटा (देवरी)	131	2020-21	Feed III	1485.320	2976.00			
रीवा	सतना	गेहूँ	ओपन कैप चोरहटा (देवरी)	139	2020-21	Feed III	1576.650	3160.00			
रीवा	सतना	गेहूँ	ओपन कैप चोरहटा (खरयाही)	114	2020-21	Feed III	762.840	1560.00			
रीवा	सतना	गेहूँ	Mpwlc Deori Open cap	113	2020-21	Feed III	1577.000	3160.00			
						<b>Total</b>	<b>7046.810</b>				
रीवा	सतना	गेहूँ	ओपन कैप उचेहरा	58	2021-22	Feed III	1388.000	2800.00	276000.00	790.00	1156/58
रीवा	सतना	गेहूँ	ओपन कैप उचेहरा	71	2021-22	Feed III	1184.160	2400.00			
रीवा	सतना	गेहूँ	ओपन कैप किरहाई	16	2021-22	Feed III	1158.300	1971.00			
रीवा	सतना	गेहूँ	ओपन कैप सोनौरा	11\172	2021-22	Feed III	1581.000	2727.00			
रीवा	सतना	गेहूँ	नोनगरा ओपन कैप	B4-3	2021-22	Feed III	836.000	1298.00			
रीवा	सतना	गेहूँ	mpwlc कैप सोनौरा	11/177	2021-22	Feed III	836.000	2097.00			
						<b>Total</b>	<b>6983.460</b>				
रीवा	सतना	गेहूँ	ओपन कैप रेउरा	1812	2020-21	Industrial use	129.410	251.00	150000.00	577.50	1156/59
रीवा	सतना	गेहूँ	ओपन कैप रेउरा	1388	2020-21	Industrial use	207.790	403.00			
रीवा	सतना	गेहूँ	ओपन कैप रेउरा	14C2	2020-21	Industrial use	362.980	704.00			
रीवा	सतना	गेहूँ	ओपन कैप रेउरा	15C8	2020-21	Industrial use	131.360	256.00			
रीवा	सतना	गेहूँ	ओपन कैप चोरहटा (देवरी)	121	2020-21	Industrial use	1377.520	2760.00			
रीवा	सतना	गेहूँ	ओपन कैप चोरहटा (देवरी)	134	2020-21	Industrial use	1485.320	2976.00			
रीवा	सतना	गेहूँ	ओपन कैप चोरहटा (देवरी)	138	2020-21	Industrial use	1485.300	2976.00			
						<b>Total</b>	<b>5179.680</b>				
रीवा	सतना	गेहूँ	ओपन कैप उचेहरा	65	2021-22	Industrial use	986.800	2000.00	247000.00	592.50	1156/60
रीवा	सतना	गेहूँ	ओपन कैप उचेहरा	68	2021-22	Industrial use	1184.160	2400.00			
रीवा	सतना	गेहूँ	ओपन कैप उचेहरा	69	2021-22	Industrial use	1233.500	2500.00			
रीवा	सतना	गेहूँ	ओपन कैप उचेहरा	96	2021-22	Industrial use	690.760	1400.00			
रीवा	सतना	गेहूँ	ओपन कैप उचेहरा	97	2021-22	Industrial use	694.900	1411.00			
रीवा	सतना	गेहूँ	ओपन कैप सोनौरा	11\173	2021-22	Industrial use	1778.000	3066.00			
रीवा	सतना	गेहूँ	नोनगरा ओपन कैप	B4-1	2021-22	Industrial use	1759.000	2730.00			
						<b>Total</b>	<b>8327.120</b>				

1934093/2024/MPSCSC(Stock.dis)

संभाग	जिले का नाम	आयान्न का नाम	गोदाम का नाम	स्टेक नम्बर	उपार्जित स्कंध वर्ष	श्रेणी	कुल क्षतिग्रस्त आयान्न की मात्रा (क्विंटल मे.)	कुल बारदाना	EMD राशि	Reserve Price (Rs Per Qntl)	Lot no
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
रीवा	सतना	गेहूँ	ओपन कैप चोरहटा (खरयाही)	116	2020-21	Industrial use	1452.000	2976.00	233000.00	577.50	1156/61
रीवा	सतना	गेहूँ	ओपन कैप चोरहटा (खरयाही)	117	2020-21	Industrial use	1456.000	2976.00			
रीवा	सतना	गेहूँ	ओपन कैप चोरहटा (खरयाही)	120	2020-21	Industrial use	733.650	1500.00			
रीवा	सतना	गेहूँ	ओपन कैप चोरहटा (खरयाही)	121	2020-21	Industrial use	782.560	1600.00			
रीवा	सतना	गेहूँ	ओपन कैप चोरहटा (खरयाही)	122	2020-21	Industrial use	1222.750	2500.00			
रीवा	सतना	गेहूँ	ओपन कैप चोरहटा (खरयाही)	123	2020-21	Industrial use	1413.500	2890.00			
रीवा	सतना	गेहूँ	ओपन कैप चोरहटा (खरयाही)	125	2020-21	Industrial use	978.200	2000.00			
Total							8038.660				
रीवा	सतना	गेहूँ	ओपन कैप चोरहटा (खरयाही)	131	2020-21	Industrial use	1075.800	2200.00	257000.00	577.50	1156/62
रीवा	सतना	गेहूँ	ओपन कैप चोरहटा (खरयाही)	140	2020-21	Industrial use	1455.560	2976.00			
रीवा	सतना	गेहूँ	ओपन कैप चोरहटा (खरयाही)	148	2020-21	Industrial use	1134.710	2320.00			
रीवा	सतना	गेहूँ	ओपन कैप चोरहटा (खरयाही)	150	2020-21	Industrial use	1247.210	2550.00			
रीवा	सतना	गेहूँ	ओपन कैप चोरहटा (खरयाही)	162	2020-21	Industrial use	1066.020	2180.00			
रीवा	सतना	गेहूँ	ओपन कैप चोरहटा (खरयाही)	167	2020-21	Industrial use	1455.260	2976.00			
रीवा	सतना	गेहूँ	ओपन कैप चोरहटा (खरयाही)	180	2020-21	Industrial use	1455.300	2976.00			
Total							8889.860				
रीवा	सतना	गेहूँ	ओपन कैप चोरहटा (खरयाही)	119	2020-21	manure use	733.650	1500.00	79000.00	192.50	1156/63
रीवा	सतना	गेहूँ	ओपन कैप चोरहटा (खरयाही)	124	2020-21	manure use	1276.550	2610.00			
रीवा	सतना	गेहूँ	ओपन कैप चोरहटा (खरयाही)	126	2020-21	manure use	1124.930	2300.00			
रीवा	सतना	गेहूँ	ओपन कैप चोरहटा (खरयाही)	129	2020-21	manure use	489.100	1000.00			
रीवा	सतना	गेहूँ	ओपन कैप चोरहटा (खरयाही)	133	2020-21	manure use	1202.000	2460.00			
रीवा	सतना	गेहूँ	ओपन कैप चोरहटा (खरयाही)	135	2020-21	manure use	1455.560	2976.00			
रीवा	सतना	गेहूँ	ओपन कैप रेउरा	13C6	2020-21	manure use	206.240	400.00			
रीवा	सतना	गेहूँ	ओपन कैप रेउरा	1486	2020-21	manure use	199.020	386.00			
रीवा	सतना	गेहूँ	ओपन कैप गह्वारा	29	2020-21	manure use	1473.220	3122.00			
Total							8160.270				
रीवा	सतना	गेहूँ	ओपन कैप चोरहटा (खरयाही)	137	2020-21	manure use	1178.730	2410.00	88000.00	192.50	1156/64
रीवा	सतना	गेहूँ	ओपन कैप चोरहटा (खरयाही)	141	2020-21	manure use	679.710	1390.00			
रीवा	सतना	गेहूँ	ओपन कैप चोरहटा (खरयाही)	142	2020-21	manure use	1455.560	2976.00			
रीवा	सतना	गेहूँ	ओपन कैप चोरहटा (खरयाही)	143	2020-21	manure use	1455.000	2976.00			
रीवा	सतना	गेहूँ	ओपन कैप चोरहटा (खरयाही)	144	2020-21	manure use	1456.000	2976.00			
रीवा	सतना	गेहूँ	ओपन कैप चोरहटा (खरयाही)	146	2020-21	manure use	914.620	1870.00			
रीवा	सतना	गेहूँ	ओपन कैप चोरहटा (देवरी)	117	2020-21	manure use	444.200	890.00			
रीवा	सतना	गेहूँ	ओपन कैप चोरहटा (देवरी)	136	2020-21	manure use	1485.320	2976.00			
Total							9069.140				
रीवा	सतना	गेहूँ	ओपन कैप चोरहटा (खरयाही)	147	2020-21	manure use	934.180	1910.00	79000.00	192.50	1156/65
रीवा	सतना	गेहूँ	ओपन कैप चोरहटा (खरयाही)	151	2020-21	manure use	1350.000	2760.00			
रीवा	सतना	गेहूँ	ओपन कैप चोरहटा (खरयाही)	154	2020-21	manure use	1455.560	2976.00			
रीवा	सतना	गेहूँ	ओपन कैप चोरहटा (खरयाही)	155	2020-21	manure use	1455.560	2976.00			
रीवा	सतना	गेहूँ	ओपन कैप चोरहटा (खरयाही)	157	2020-21	manure use	1455.560	2976.00			
रीवा	सतना	गेहूँ	ओपन कैप चोरहटा (खरयाही)	163	2020-21	manure use	1455.560	2976.00			
Total							8106.420				
रीवा	सतना	गेहूँ	ओपन कैप चोरहटा (खरयाही)	165	2020-21	manure use	1455.560	2976.00	85000.00	192.50	1156/66
रीवा	सतना	गेहूँ	ओपन कैप चोरहटा (खरयाही)	166	2020-21	manure use	1455.560	2976.00			
रीवा	सतना	गेहूँ	ओपन कैप चोरहटा (खरयाही)	170	2020-21	manure use	1455.260	2976.00			
रीवा	सतना	गेहूँ	ओपन कैप चोरहटा (खरयाही)	171	2020-21	manure use	1455.000	2976.00			
रीवा	सतना	गेहूँ	ओपन कैप चोरहटा (खरयाही)	172	2020-21	manure use	1455.000	2976.00			
रीवा	सतना	गेहूँ	ओपन कैप चोरहटा (खरयाही)	173	2020-21	manure use	1455.000	2976.00			
Total							8731.380				
रीवा	सतना	गेहूँ	ओपन कैप चोरहटा (खरयाही)	174	2020-21	manure use	1455.000	2976.00	82000.00	192.50	1156/67
रीवा	सतना	गेहूँ	ओपन कैप चोरहटा (खरयाही)	175	2020-21	manure use	1455.000	2976.00			
रीवा	सतना	गेहूँ	ओपन कैप चोरहटा (खरयाही)	176	2020-21	manure use	1455.000	2976.00			
रीवा	सतना	गेहूँ	ओपन कैप चोरहटा (खरयाही)	177	2020-21	manure use	1455.000	2976.00			
रीवा	सतना	गेहूँ	ओपन कैप चोरहटा (खरयाही)	178	2020-21	manure use	1363.000	2789.00			
रीवा	सतना	गेहूँ	ओपन कैप चोरहटा (खरयाही)	179	2020-21	manure use	1296.120	2650.00			
Total							8479.120				
रीवा	सतना	गेहूँ	ओपन कैप उचेहरा	66	2021-22	manure use	493.400	1000.00	40000.00	197.50	1156/68
रीवा	सतना	गेहूँ	ओपन कैप उचेहरा	67	2021-22	manure use	345.380	700.00			
रीवा	सतना	गेहूँ	ओपन कैप उचेहरा	70	2021-22	manure use	148.020	300.00			
रीवा	सतना	गेहूँ	ओपन कैप उचेहरा	92	2021-22	manure use	789.440	1600.00			
रीवा	सतना	गेहूँ	ओपन कैप गह्वारा	20	2021-22	manure use	200.000	400.00			
रीवा	सतना	गेहूँ	नोनगरा ओपन कैप	84-2	2021-22	Manure use	1989.000	3087.00			
Total							3965.240				
रीवा	रीवा	गेहूँ	Dhooma	C/7	2020-21	manure use	1181.000	2540.00	12000.00	192.50	1156/69
Total							1181.000				
रीवा	रीवा	गेहूँ	Itar pagad 36	36/44	2021-22	Industrial use	1253.000	2558.00	89000.00	592.50	1156/70
रीवा	रीवा	गेहूँ	Kuswar 45	45/8	2021-22	Industrial use	1721.000	3450.00			
Total							2974.000				
रीवा	रीवा	गेहूँ	Dhooma	C/1	2020-21	Industrial use	1482.000	3020.00	87000.00	577.50	1156/71
रीवा	रीवा	गेहूँ	Dhooma	C/9	2020-21	Industrial use	1528.000	2852.00			
Total							3010.000				
रीवा	रीवा	गेहूँ	Itar pagad 36	36/28	2022-23	manure use	203.320	460.00	3000.00	201.50	1156/72
रीवा	रीवा	गेहूँ	Maugang	2/4	2022-23	manure use	45.000	143.00			
Total							248.320				

1934093/2024/MPSCSC(Stock.dis)

संभाग	जिले का नाम	खाद्यान्न का नाम	गोदाम का नाम	स्टेक नम्बर	उपार्जित स्कंध वर्ष	श्रेणी	कुल क्षतिग्रस्त खाद्यान्न की मात्रा (क्विंटल मे.)	कुल बारदाना	EMD राशि	Reserve Price (Rs Per Qntl)	Lot no			
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13			
रीवा	रीवा	गेहूँ	Kuswar 45	45/10	2021-22	manure use	609.000	1539.00	7000.00	197.50	1156/73			
रीवा	रीवा	गेहूँ	Dhooma	A2	2021-22	manure use	92.300	185.00						
						<b>Total</b>	<b>701.300</b>							
रीवा	रीवा	गेहूँ	Kuswar 45	45/7	2021-22	Feed III	1600.600	3280.00	123000.00	790.00	1156/74			
रीवा	रीवा	गेहूँ	Kuswar 45	45/9	2021-22	Feed III	1500.000	3562.00						
						<b>Total</b>	<b>3100.600</b>							
रीवा	रीवा	गेहूँ	Go-green Kuswar 45	45/24	2022-23	Feed III	341.000	206.00	14000.00	806.00	1156/75			
						<b>Total</b>	<b>341.000</b>							
रीवा	शहडोल	गेहूँ	ढोलर ओपन कैप जयसिंहनगर	1	2021-22	Feed I	1264.050	2385.00	75000.00	1185.00	1156/76			
						<b>Total</b>	<b>1264.050</b>							
रीवा	शहडोल	गेहूँ	ढोलर ओपन कैप जयसिंहनगर	1/04	2021-22	Feed III	822.330	1530.00	33000.00	790.00	1156/77			
						<b>Total</b>	<b>822.330</b>							
भोपाल	रायसेन	गेहूँ	राजपुत वे.हा. बाडी	1	2019-20	Feed I	1305.400	2919.00	115000.00	1104.00	1156/78			
भोपाल	रायसेन	गेहूँ	खामरा वे.हा.10सुल्तानपुर	1	2019-20	Feed I	186.000	548.00						
भोपाल	रायसेन	गेहूँ	मां कर्मा वे.हा. बाडी	7	2019-20	FEED I	576.080	1081.00						
						<b>Total</b>	<b>2067.480</b>							
भोपाल	रायसेन	गेहूँ	एमपीडब्लुसी शोभापुर कैप उदयपुरा	14	2020-21	FEED I	1099.800	2536.00	64000.00	1155.00	1156/79			
						<b>Total</b>	<b>1099.800</b>							
भोपाल	रायसेन	गेहूँ	मप्रवेलाका 2 मण्डीदीप	02/12	2013-14	Feed I	339.000	678.00	14000.00	810.00	1156/80			
						<b>Total</b>	<b>339.000</b>							
भोपाल	रायसेन	गेहूँ	एमपीडब्लुसी शोभापुर कैप उदयपुरा	9	2020-21	FEED II	744.000	1716.00	69000.00	987.50	1156/81			
भोपाल	रायसेन	गेहूँ	एमपीडब्लुसी शोभापुर कैप उदयपुरा	20	2020-21	FEED II	492.000	1135.00						
भोपाल	रायसेन	गेहूँ	एमपीडब्लुसी शोभापुर कैप उदयपुरा	5	2020-21	FEED II	152.000	351.00						
						<b>Total</b>	<b>1388.000</b>							
भोपाल	रायसेन	गेहूँ	एमपीडब्लुसी शोभापुर कैप उदयपुरा	11	2020-21	Industrial Use	1032.000	2380.00	31000.00	592.50	1156/82			
						<b>Total</b>	<b>1032.000</b>							
भोपाल	रायसेन	गेहूँ	मप्रवेलाका कैप उदयपुरा	3	2019-20	Manure use	86.310	140.00	1000.00	184.00	1156/83			
						<b>Total</b>	<b>86.310</b>							
भोपाल	रायसेन	ज्वार	मप्रवेलाका 8 सिलयानी	4	2020-21	Feed I	10.500	21.00	1000.00	1572.00	1156/84			
						<b>Total</b>	<b>10.500</b>							
भोपाल	रायसेन	बाजरा	मप्रवेलाका 8 सिलयानी	4	2020-21	Feed I	1.460	32.00	100.00	1290.00	1156/85			
						<b>Total</b>	<b>1.460</b>							
भोपाल	रायसेन	मक्का	मप्रवेलाका 63 दिवटिया	12	2015-16	Feed III	26.880	48.00	1000.00	530.00	1156/86			
						<b>Total</b>	<b>26.880</b>							
जबलपुर	नरसिंहपुर	गेहूँ	मंडी गोदाम 9	9	2020-21	Feed I	228.490	494.00	224000.00	1185.00	1156/87			
जबलपुर	नरसिंहपुर	गेहूँ	शारदा वेअर हाउस	56/11	2020-21	Feed I	874.750	1928.00						
जबलपुर	नरसिंहपुर	गेहूँ	14 वृदावन वेयर हाउस	14/01	2020-21	FEED I	122.710	247.00						
जबलपुर	नरसिंहपुर	गेहूँ	14 वृदावन वेयर हाउस	14/03	2020-21	FEED I	479.910	966.00						
जबलपुर	नरसिंहपुर	गेहूँ	14 वृदावन वेयर हाउस	14/08	2020-21	FEED I	240.450	484.00						
जबलपुर	नरसिंहपुर	गेहूँ	14 वृदावन वेयर हाउस	14/09	2020-21	FEED I	1049.310	2112.00						
जबलपुर	नरसिंहपुर	गेहूँ	14 वृदावन वेयर हाउस	14/10	2020-21	FEED I	771.040	1552.00						
						<b>Total</b>	<b>3766.660</b>							
जबलपुर	नरसिंहपुर	गेहूँ	20 मां गुर्जर वेयरहाउस	20/4	2020-21	FEED I	1847.280	3720.00	396000.00	1185.00	1156/88			
जबलपुर	नरसिंहपुर	गेहूँ	20 मां गुर्जर वेयरहाउस	20/5	2020-21	FEED I	1848.280	3720.00						
जबलपुर	नरसिंहपुर	गेहूँ	20 मां गुर्जर वेयरहाउस	20/7	2020-21	FEED I	1127.230	2263.00						
जबलपुर	नरसिंहपुर	गेहूँ	20 मां गुर्जर वेयरहाउस	20/8	2020-21	FEED I	1848.280	3720.00						
						<b>Total</b>	<b>6671.070</b>							
जबलपुर	नरसिंहपुर	गेहूँ	20 मां गुर्जर वेयरहाउस	20/11	2020-21	FEED I	1845.780	3517.00	427000.00	1185.00	1156/89			
जबलपुर	नरसिंहपुर	गेहूँ	20 मां गुर्जर वेयरहाउस	20/12	2020-21	FEED I	1660.660	3338.00						
जबलपुर	नरसिंहपुर	गेहूँ	20 मां गुर्जर वेयरहाउस	20/14	2020-21	FEED I	1845.200	3720.00						
जबलपुर	नरसिंहपुर	गेहूँ	20 मां गुर्जर वेयरहाउस	20/15	2020-21	FEED I	1841.280	3720.00						
						<b>Total</b>	<b>7192.920</b>							
जबलपुर	नरसिंहपुर	गेहूँ	38 स्यामी वेयरहाउस	38/04	2020-21	FEED I	169.750	336.00	234000.00	1185.00	1156/90			
जबलपुर	नरसिंहपुर	गेहूँ	38 स्यामी वेयरहाउस	38/25	2020-21	FEED I	59.310	118.00						
जबलपुर	नरसिंहपुर	गेहूँ	38 स्यामी वेयरहाउस	38/62	2020-21	FEED I	241.300	477.00						
जबलपुर	नरसिंहपुर	गेहूँ	45 प्रसन्न वेयरहाउस	45/02	2020-21	FEED I	264.150	528.00						
जबलपुर	नरसिंहपुर	गेहूँ	45 प्रसन्न वेयरहाउस	45/17	2020-21	FEED I	154.580	309.00						
जबलपुर	नरसिंहपुर	गेहूँ	45 प्रसन्न वेयरहाउस	45/24	2020-21	FEED I	199.110	398.00						
जबलपुर	नरसिंहपुर	गेहूँ	45 प्रसन्न वेयरहाउस	45/42	2020-21	FEED I	49.550	99.00						
जबलपुर	नरसिंहपुर	गेहूँ	45 प्रसन्न वेयरहाउस	45/16	2020-21	FEED I	1629.420	3257.00						
जबलपुर	नरसिंहपुर	गेहूँ	45 प्रसन्न वेयरहाउस	45/20	2020-21	FEED I	1175.660	2350.00						
						<b>Total</b>	<b>3942.830</b>							
जबलपुर	नरसिंहपुर	गेहूँ	49 आर.के. कोल्ड	49/14	2020-21	FEED II	815.530	1618.00				430000.00	987.50	1156/91
जबलपुर	नरसिंहपुर	गेहूँ	49 आर.के. कोल्ड	49/17	2020-21	FEED II	1779.170	3528.00						
जबलपुर	नरसिंहपुर	गेहूँ	49 आर.के. कोल्ड	49/18	2020-21	FEED II	1633.930	3240.00						
जबलपुर	नरसिंहपुर	गेहूँ	49 आर.के. कोल्ड	49/20	2020-21	FEED II	577.370	1149.00						
जबलपुर	नरसिंहपुर	गेहूँ	49 आर.के. कोल्ड	49/02	2020-21	FEED II	552.440	1104.00						
जबलपुर	नरसिंहपुर	गेहूँ	49 आर.के. कोल्ड	49/06	2020-21	FEED II	1389.510	2776.00						
जबलपुर	नरसिंहपुर	गेहूँ	49 आर.के. कोल्ड	49/07	2020-21	FEED II	1188.950	2376.00						
जबलपुर	नरसिंहपुर	गेहूँ	49 आर.के. कोल्ड	49/12	2020-21	FEED II	753.600	1506.00						
						<b>Total</b>	<b>8690.500</b>							

## 1934093/2024/MPSCSC(Stock.dis)

संभाग	जिले का नाम	खाद्यान्न का नाम	गोदाम का नाम	स्टेक नम्बर	उपाजित स्कंध वर्ष	श्रेणी	कुल क्षतियस्त खाद्यान्न की मात्रा (कियंटल मे.)	कुल बारदाना	EMD राशि	Reserve Price (Rs Per Qntl)	Lot no
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
जबलपुर	नरसिंहपुर	गेहूँ	51 सोया प्लांट	51/01	2020-21	FEED I	218.040	491.00	266000.00	1185.00	1156/92
जबलपुर	नरसिंहपुर	गेहूँ	51 सोया प्लांट	51/02	2020-21	FEED I	429.340	967.00			
जबलपुर	नरसिंहपुर	गेहूँ	51 सोया प्लांट	51/03	2020-21	FEED I	199.040	448.00			
जबलपुर	नरसिंहपुर	गेहूँ	54 अन्नपूर्णा वेयरहाउस	54/13	2020-21	FEED I	1017.870	2091.00			
जबलपुर	नरसिंहपुर	गेहूँ	54 अन्नपूर्णा वेयरहाउस	54/22	2020-21	FEED I	211.260	434.00			
जबलपुर	नरसिंहपुर	गेहूँ	54 अन्नपूर्णा वेयरहाउस	54/23	2020-21	FEED I	284.760	585.00			
जबलपुर	नरसिंहपुर	गेहूँ	ओम श्री मों गुर्जर	21/08	2020-21	Feed I	337.680	638.00			
जबलपुर	नरसिंहपुर	गेहूँ	मों नर्मदा वेयर हाउस 27	27/13	2020-21	FEED I	115.870	355.00			
जबलपुर	नरसिंहपुर	गेहूँ	ओम श्री मों गुर्जर	29/01	2020-21	Feed I	87.180	179.00			
जबलपुर	नरसिंहपुर	गेहूँ	ओम श्री मों गुर्जर	36E/01	2020-21	FEED I	303.970	545.00			
जबलपुर	नरसिंहपुर	गेहूँ	राधारमण वेयर हाउस	40/28	2020-21	Feed I	706.460	1388.00			
जबलपुर	नरसिंहपुर	गेहूँ	43 आर लक्ष्मण वेयर हाउस.	43/16	2020-21	Feed I	307.360	659.00			
जबलपुर	नरसिंहपुर	गेहूँ	आर लक्ष्मण वेयर हाउस.	44/22	2020-21	Feed I	108.100	223.00			
जबलपुर	नरसिंहपुर	गेहूँ	बालमुकुन्द वेयर हाउस	47/18	2020-21	FEED I	32.430	129.00			
जबलपुर	नरसिंहपुर	गेहूँ	मों गुर्जर वेयर हाउस 29	29/06	2020-21	FEED I	121.560	240.00			
						<b>Total</b>	<b>4480.920</b>				
ग्वालियर	शिवपुरी	गेहूँ	शिवशक्ति वे.हा	20	2020-21	Feed I	951.580	2008.00	57000.00	1185.00	1156/93
						<b>Total</b>	<b>951.580</b>				
						<b>Grand Total</b>	<b>233403.100</b>				

1934093/2024/MPSCSC(Stock.dis)

परिशिष्ट-1

संभागवार, जिलावार विक्रय हेतु क्षतिग्रस्त खाद्यान्न के चिह्नित लॉट, रिजर्व प्राईज एवं EMD का विवरण

मात्रा क्विंटल में एवं राशि रूपये

क्र.	संभाग	जिले का नाम	खाद्यान्न का नाम	गोदाम का नाम	स्टेक नम्बर	उपार्जित स्कंध वर्ष	श्रेणी	कुल क्षतिग्रस्त खाद्यान्न की मात्रा	कुल बारदाना	EMD राशि	Reserve Price (Rs Per Qntl)	Lot no
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	सागर	दमोह	चावल	पीईजी गोदाम नं 1A	7	2021-22	FEED I	1450.000	2900.000	125955.224	1164.000	1156/94
							<b>Total</b>	<b>1450.000</b>				
2	भोपाल	भोपाल	चावल	SWC Berasia	2 /3	2015-16	Industrial Use	2.020	4.000	63.766	423.000	1156/95
							<b>Total</b>	<b>2.020</b>				
3	सागर	सागर	चावल	MPWLC 2 भैंसा सागर	4	2020-21	FEED I	255.580	529.000	21377.169	1120.800	1156/96
							<b>Total</b>	<b>255.580</b>				
4	ग्वालियर	मुरैना	चावल	माता बसैया वे.हा मुरैना	2 /1	2020-21	FEED II	29.510	60.000	2056.891	934.000	1156/97
							<b>Total</b>	<b>29.510</b>				
5	भोपाल	रायसेन	चावल	मप्रवेलाका 61 दिचटिया	12	2018-19	Feed II	150.630	305.00	9835.914	875.000	1156/98
							<b>Total</b>	<b>150.630</b>				
6	भोपाल	रायसेन	चावल	मप्रवेलाका 05 मंडीदीप	5	2016-17	Feed II	30.650	34.00	1681.175	735.000	1156/99
							<b>Total</b>	<b>30.650</b>				
7	जबलपुर	नरसिंहपुर	चावल	प्रतीक वे.हा.42	42/23	2018-19	FEED I	9.000	18.00	705.224	1050.000	1156/100
							<b>Total</b>	<b>9.000</b>				
							<b>Grand Total</b>	<b>1927.390</b>				

## परिशिष्ट-2

## निविदाकार का परिचय एवं संक्षिप्त विवरण

प्रेषक,

..... (निविदाकार का नाम एवं पूर्ण स्थायी पता)

.....

..... (कार्यालय का पता)

.....

प्रति,

प्रबंध संचालक

म.प्र. स्टेट सिविल सप्लाइज कापॉरेशन लिमिटेड

.....

विषय:-क्षतिग्रस्त खाद्यान्न के विक्रय हेतु ऑनलाईन निविदा बावत।

प्रिय महोदय,

म.प्र. स्टेट सिविल सप्लाइज कापॉरेशन लिमिटेड. द्वारा क्षतिग्रस्त खाद्यान्न के विक्रय करने हेतु प्रकाशित निविदा सूचना को व इस दस्तावेज को भली-भांती पढ़ व समझ लिया है। यह दस्तावेज हमारे द्वारा <http://mptenders.gov.in> से डाउन लोड किया है।

2. मैं/हम इस दस्तावेज की शर्तों व नियमों के पालन के लिये सहमत हूँ/हैं।
3. उक्त कार्य के लिये अपनी/हमारी दरें भर रहे हैं/रहा हूँ।
4. हमारा/मेरा विवरण निम्नानुसार है:-

स.क्र.	विवरण	विवरण
1	1. निविदाकार का पूरा नाम	
	पता	
	दूरभाष क्र. कार्यालय कोड सहित	
	निवास कोड सहित	
	मोबाईल नम्बर	
	ई-मेल	
	फैक्स नम्बर	
	2. फर्म का स्वरूप/एकल स्वामित्व/भागीदारी फर्म/कंपनी अन्य निविदा पर हस्ताक्षर करने वाले व्यक्ति का नाम व पद व हैसियत क्या पावर आफ अटार्नी है/अधिकार पत्र है।	

निविदाकार अपना पासपोर्ट साइज का फोटो यहां चिपकायें निविदाकार को अपने स्वप्रमाणित हस्ताक्षर इस तरह करने होंगे जो आधे फोटों पर व आधे इस पेज पर आवें।



	3. एकल स्वामी/का नाम व पिता का नाम व पता	
	फर्म की स्थिति में भागीदारों के नाम पिता के नाम सहित व पता	
	भागीदारों का विवरण- कृपया नाम बताएं	
	4. कंपनी अधिकृत व्यक्ति का नाम व पता	
	5. संस्था का पता व फोन नम्बर	
2	एफसीआई का पंजीयन क्र. की जानकारी	
3	निविदाकार/निविदाकार संस्था को एकल स्वामित्व की स्थिति में राज्य के दुकान एवं स्थापना अधिनियम के अंतर्गत प्रमाणन/पार्टनरशिप डीड/कंपनी का रजिस्ट्रेशन/व्यापारिक लाईसेंस/जिला उद्योग एवं व्यापार का पंजीयन/लघु मध्यम, बड़े उद्योगों का भारत सरकार को पंजीयन/शासन/शासकीय संस्था से व्यवसाय से संबंधित ऐसे प्रमाण पत्र जिसमें निविदाकार की स्थापना का प्रमाणन है, जिसकी वैधता वित्तीय निविदा खोलने की अंतिम दिनांक तक होना चाहिये। उक्त में से कोई एक प्रमाण पत्र।	
4	बैंकर का नाम शाखा सहित (खाता क्रमांक लिखें) जिसमें पेमेंट किये जाते हैं। संबंधित बैंक खाते का एक कैंसल चैक अनिवार्य रूप से संलग्न करें।	बैंक का नाम.....  बैंक का IFSC Code.....  बैंक एकाउंट नम्बर.....  (बचत खाता/चालू खाता).....
5	मेरी/हमारी गत वर्षों में अमानत/प्रतिभूति राशि कार्पोरेशन की किसी भी निविदा अंतर्गत राजसात की गई है। यदि हाँ तो विवरण दें।	हाँ/नहीं
6	क्या कभी आपको इस कार्पोरेशन द्वारा निविदा भरने या कार्य से प्रतिबंधित किया गया था। यदि हाँ तो विवरण दें।	
7	क्या आप को कभी किसी शासन /शासकीय/ अर्द्धशासकीय संस्था द्वारा खाद्यान्न क्रय निविदा हेतु प्रतिबंधित, कालीसूची में रखा गया था। यदि हाँ, तो समयावधि सहित विवरण दें।	

यदि कारपोरेशन द्वारा हमें / मुझे क्षतिग्रस्त खाद्यान्न विक्रय किया जाता है, तो हम / मैं निर्धारित अवधि में नियमानुसार प्रतिभूति राशि जमा करके अनुबंध करने के लिये पूर्णतः सहमत हूँ/हैं।

मैं/ हम यह शपथपूर्वक घोषणा भी करते हैं कि मुझे/हमें/ हमारी फर्म/संस्थान / कंपनी को किसी शासकीय/अर्द्ध शासकीय/ शासकीय एजेन्सी ने ऐसी निविदा कार्य हेतु प्रस्तुती की दिनांक तक काली सूची में दर्ज नहीं किया है/संबंधित संस्था की आगामी, निविदा में भाग लेने से वंचित नहीं किया है।

यदि उपरोक्तानुसार शपथ में जानकारी कोई असत्यता/ त्रुटि पाई जाती है तो मेरी /हमारी निविदा निरस्ती योग्य होगी। हम / मैं इसके द्वारा घोषित करते हैं/करता हूँ कि निविदा फार्म तथा उसके साथ संलग्न परिशिष्टों में की गई प्रविष्टियां मेरे पूर्ण विश्वास एवं ज्ञान में सही है एवं इस हेतु मैं पूर्णतः उत्तरदायी रहूंगा।

दिनांक.....

निविदाकार के हस्ताक्षर.....

नाम.....

फर्म का नाम.....

पूरा पता.....

.....

हैसियत.....

मुहर.....

नोट- इसमें अपेक्षित विवरण स्पष्ट रूप से भरें एवं संपूर्ण कॉलम में प्रविष्टि अति आवश्यक है, अन्यथा अपेक्षित विवरण के अभाव में निविदा निरस्त की जा सकती है।

(जिला प्रबंधक के आधिकारिक लैटर हेड पर)

## अनुमति पत्र

क्र./

दिनांक:

म. प्र स्टेट सिविल सप्लाय कारपोरेशन लि. मुख्यालय भोपाल द्वारा निविदा सूचना क्र./....., दिनांक ..... से क्षतिग्रस्त खाद्यान्न के विक्रय हेतु निविदा जारी की गई है। उक्त निविदा में जिला..... में क्षतिग्रस्त खाद्यान्न ..... की ..... मे.टन मात्रा के विक्रय हेतु प्रस्तुत लॉट के अवलोकन/निरीक्षण हेतु निविदा दस्तावेज की कंडिका क्र. 6.1 के अनुक्रम में निविदाकार श्री/मेसर्स.....को अनुमति प्रदान की जाती है।

निविदाकार श्री/मेसर्स..... उक्त क्षतिग्रस्त ..... का निरीक्षण भंडारण एजेंसी के निर्धारित कार्य दिवस/समय में, शाखा प्रबंधक MPWLC एवं प्रदाय केंद्र प्रभारी MPWLC अथवा उनके अधिकृत प्रतिनिधि की उपस्थिति में कर सकेंगे।

जिला प्रबंधक/प्रभारी जिला प्रबंधक  
म. प्र. स्टेट सिविल सप्लाय कारपोरेशन लि.

क्र./

प्रतिलिपि:

1. महाप्रबंधक (वितरण) मुख्यालय भोपाल
2. क्षेत्रीय प्रबंधक म.प्र. स्टेट सिविल सप्लाय कारपोरेशन लि. ,संबंधित
4. जिला प्रबंधक म.प्र. स्टेट सिविल सप्लाय कारपोरेशन लि. ,संबंधित
5. जिला प्रबंधक म.प्र. वेयरहाउसिंग एंड लॉजिस्टिक्स कारपोरेशन, संबंधित

जिला प्रबंधक/प्रभारी जिला प्रबंधक

## परिशिष्ट-4

निविदा दस्तावेज क्रय हेतु ऑनलाईन पोर्टल <http://mptender.gov.in> के खाते में रू 1000/- जमा की रसीद का प्रारूप

1. निविदाकार का नाम .....
2. सेवा प्रदाता का बैंक का नाम .....
3. खाता क्र.....
4. आईएफएससी (स्टेट बैंक ऑफ इंडिया) कोड.....
5. जमा राशि रू .....
6. जमा राशि की दिनांक.....
7. ई-टेण्डर क्रमांक.....
8. ट्रांजेक्शन आईडी0नं0.....

प्राप्त रसीद यहां चिपकाएं

हस्ताक्षर एवं सील

(राशि रू. 100/- के नॉन ज्युडिशियल स्टाम्प पर)

## शपथ पत्र

मैं.....आत्मज श्री.....  
 निवासी..... फर्म.....  
 .....पता.....  
 .....शपथ पूर्वक घोषणा करता हूँ कि म.प्र. स्टेट सिविल  
 सप्लाइज कार्पोरेशन लि. भोपाल द्वारा क्षतिग्रस्त खाद्यान्न विक्रय हेतु प्रकाशित निविदा सूचना को व दस्तावेज  
 को भली-भाँती पढ़ एवं समझ लिया है।

2. मैं/हम इस दस्तावेज की शर्तों एवं नियमों के पालन के लिए सहमत हूँ।
3. उक्त कार्य के लिए अपनी/हमारी दरें प्रेषित कर रहा हूँ।
4. हमारा/मेरा विवरण निम्नानुसार है:-

क्र.	चाही गई जानकारी	जानकारी का विवरण
1.	निविदाकार का पूरा नाम	
	निविदाकार का पूरा पता	
	दूरभाष क्रमांक	
	निवास	
	मोबाईल नम्बर	
	ई-मेल	
2.	फर्म का स्वरूप कंपनी एवं अन्य/भागीदारी फर्म/ स्वा मित्व एकल /निविदा पर हस्ताक्षर करने वाले का नाम व पद व हैसियत	
3.	संस्था का पता व फोन नम्बर	
4.	बैंकर का नाम खाता क्रमांक	बैंक का नाम.....  बैंक का आई.एफ.एस.सी. कोड.....  बैंक अकाउंट नम्बर.....

5. मैं प्रमाणित करता हूँ कि मुझे/मेरी फर्म/कंपनी/अविभाजित परिवार/पंजीकृत संस्था/शासकीय/अर्द्धशासकीय  
निकाय को भारत सरकार/राज्य शासन या उनके किसी शासकीय/अर्द्धशासकीय सार्वजनिक उपक्रम द्वारा  
ब्लैक लिस्ट नहीं किया गया है।
6. मैं यह घोषणा करता हूँ मैं श्रेणी (फीड-1, फीड-2, फीड-3, इंडस्ट्रियल यूज़ एवं मैन्योर) विषेश के अंतर्गत  
क्रय किये गये क्षतिग्रस्त खाद्यान्न का उपयोग/प्रोसेसिंग उसी श्रेणी (फीड-1, फीड-2, फीड-3, इंडस्ट्रियल यूज़

एवं मैन्योर) के अतर्गत करूंगा एवं क्षतिग्रस्त खाद्यान्न से संबंधित कंडिका क्र. 4 के अतर्गत समस्त प्रावधानों का पालन करूंगा।

यदि उपरोक्तानुसार यदि मेरे द्वारा उक्त निविदा की कंडिका क्र. 4 में उल्लेखित किसी भी प्रावधान का उल्लंघन किया जाता है तो म.प्र. स्टेट सिविल सप्लाइज कापोरेशन मेरे विरुद्ध भारतीय दंड संहिता के अतर्गत दंडात्मक कार्यवाही हेतु पूर्णतः स्वतंत्र है।

दिनांक.....

निविदाकार के हस्ताक्षर .....

निविदाकार का नाम व पता.....

.....

## अनुबंध पत्र (नमूना प्रति)

(1000/- रुपये मूल्य के नॉन ज्यूडीशियल स्टाम्प पेपर पर)

मैं/हम (यहां संविदाकार के पूरे नाम और पते का उल्लेख करें) मेसर्स ..... जो कि एक पंजीकृत/ निर्माता/भागीदारी फर्म/स्वामित्व प्रोपाईटरशिप फर्म/कंपनी है और जिसके भागीदार/ स्वामी श्री .....पुत्र..... श्री..... निवासी..... एवं महाप्रबंधक (वितरण) , म. प्र. स्टेट सिविल सप्लाइज कार्पोरेशन लि. भोपाल के बीच आज दिनांक ..... को यह अनुबंध निष्पादित कराता हूँ/करते है। इसके द्वारा इस बात की पुष्टि करता हूँ/करते हैं कि मैंने/हमने म. प्र. स्टेट सिविल सप्लाइज कार्पोरेशन लि. भोपाल द्वारा आमंत्रित निविदा क्र..... दिनांक..... तथा संविदा की सामान्य शर्तों और उसके अनुबंधों/निर्देशों तथा परिशिष्टों का परीक्षण व अध्ययन कर लिया गया है। तथा इनसे सहमत है। मैं/हम,मेरे/हमारे द्वारा म. प्र. स्टेट सिविल सप्लाइज कार्पोरेशन लि. भोपाल द्वारा जारी निविदा क्रमांक .....दिनांक..... में लॉट क्रमांक..... हेतु वित्तीय वि में अपनी स्वेच्छा एवं पूर्ण विवेक से दरे प्रस्तुत की गई है। मैं/हम कार्पोरेशन को यह आश्वासन देता हूँ/देते हैं कि मैं/हम इस संविदा की सामान्य शर्तों उसके अनुबंधों/निर्देशों का पालन करते हुए क्रय किये क्षतिग्रस्त खाद्यान्न की पूर्ण मात्रा की राशि कार्पोरेशन में जमा कर स-समय उठाव करूंगा एवं क्षतिग्रस्त खाद्यान्न के उपयोग से संबंधित समस्त प्रावधानों का निष्ठा से पालन करूंगा/करेंगे। अवधि पर्यन्त सभी अवस्थाओं पर मेरी/हमारी सर्वोत्तम योग्यता से करूंगा/करेंगे।

निविदा दस्तावेज में समाहित उद्बोधन, निविदा/निर्देश व मार्गदर्शक सूचनाएं, नियम एवं शर्तें, उसमें संलग्न सभी पृष्ठ एवं परिशिष्ट आदि इस अनुबंध पत्र के अभिन्न अंग है और दोनों पक्षकार इनसे आबद्ध रहने के लिए बाद्ध है। यह करार दिनांक ..... से के लिए या उस दिनांक तक, जिस तक यह संविदा बढ़ाई जाये, लागू रहेगा।

(संविदाकार) वा हैसियत कार्पोरेशन की ओर से अधिकृत जिसमें वह हस्ताक्षर कर रहा है।

निविदाकार के हस्ताक्षर

महाप्रबंधक (वितरण)

साक्षी

साक्षी

1.....

1.....

2.....

2.....

परिशिष्ट-7

Beneficiary Name	MP STATE CIVIL SUPPLIES CORPORATION LTD.
Beneficiary Bank	State Bank of India
Branch	Commercial Branch, Bhopal
Corporation Current A/C. No.	00000039743733490
IFSC Code	SBIN0001920



## ON THE LATTER HEAD OF THE

## Declaration Form

"To Whomsoever IT May Concer"

Subject-Declaration for Applicability of Sec 194 a

We \_\_\_\_\_(Name of Agency) having PAN number TAN  
Number declare that our total Turnover for FY 2020-21 is more than Rs. 10 Cr. Hence  
the se 194Q is applicable to us.

We will deduct the TDS as per the provision of the sec 194Q of the ACT for the Sales  
Bill Raised by the on or after 01/07/2021.

We also hereby declare that we will deposit the TDS and file the TDS return on thime so  
that the can get the Credit for the same.

For

Signature and Stamp

Date

Place

## परिशिष्ट-9

निविदाकार का नाम एवं पता
GST No.
PAN No.
E-mail Id
Mobile No.

क्र.	संभाग	जिला	संग्रहण स्थल/ गोदाम का नाम एवं क्र.	गोदाम /स्थान	लॉट की मात्रा	लॉट क्र.	क्षतिग्रस्त खाद्यान्न का नाम	श्रेणी	ऑफर दर प्रति क्विंटल	
									अंको में	(शब्दों में)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1										
2										